खण्ड–34, अंक–07
मंगलवार, 15 ज्येष्ठ, शक संवत्, 1934
(दिनांक 05 जून, 2012 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(तृतीय विधान सभा)
(द्वितीय सत्र, 2012)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 34 में 10 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2013

विषय–सूची

विषय	संख्या पृष्ठ
उपस्थिति	''क''
प्रश्नोत्तर	1–80
नियम– 300 के अन्तर्गत सूचना	81
जनपद बागेश्वर के विधान सभा कपकोट के अन्तर्गत के0एम0वी0एन0 द्वारा गैस गोदाम एवं पर्यटक आवास गृह खोले जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	81
जनपद पौड़ी गढ़वाल विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर अन्तर्गत राजकीय इण्टर कालेजों में प्रधानाचार्य एवं अध्यापकों की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	82
जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड गरूड़ में यातायात को सूचारू रूप से चलाने के लिए बाईपास बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	82
जनपद हरिद्वार के ज्वालापुर में जलभराव की समस्या के निदान के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	83
जनपद ऊधमसिंह नगर के नानकमत्त में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	83
जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के विकास खण्ड धारी में वर्षों उपरान्त भी दोषापानी महाविद्यालय का भवन निर्माण न होने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	83
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–25 के अन्तर्गत सूचना आयोग का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन 2008–09 (ए0टी0आर0 सहित) (सदन के पटल पर रखा)	84
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	84
नियम–310 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं के विषयों पर चर्चा कराये जाने की मांग	85–89
उत्तराखण्ड विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2012 (पुरःस्थापित)	90
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)	91–100
विधान सभा समितियों के गठन हेतु मा0 अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	100–101
वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा (जारी) ...	102
नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं	102
नत्थियां	103–105

'क'

उपस्थिति

1—श्री अजय टम्टा
2—श्री अजय भट्ट
3—डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4—श्रीमती अमृता रावत
5—श्री अरविन्द पाण्डे
6—श्री आदेश चौहान
7—श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
8—श्री उमेश शर्मा (काऊ)
9—श्री गणेश गोदियाल
10—श्री गणेश जोशी
11—श्री चन्दन राम दास
12—श्री चन्द्र शेखर
13—डा0 जीत राम
14—श्री तीरथ सिंह
15—श्री दलीप सिंह रावत
16—श्री दान सिंह भण्डारी
17—श्री दिनेश अग्रवाल
18—श्री दिनेश धनै
19—श्री नवप्रभात
20—श्री नारायणराम आर्य
21—श्री पुष्कर सिंह धामी
22—श्री पूरन सिंह फर्त्याल
23—कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
24—श्री प्रदीप बत्रा
25—श्री प्रीतम सिंह
26—श्री प्रीतम सिंह पंवार
27—श्री प्रेम चन्द अग्रवाल
28—श्री प्रेम सिंह
29—श्री फुरकान अहमद
30—श्री बंशीधर भगत
31—श्री भीमलाल आर्य
32—श्री मदन कौशिक
33—श्री मदन सिंह बिष्ट
34—श्री मनोज तिवारी
35—श्री मयूख सिंह
36—श्री महावीर सिंह
37—श्री माल चन्द
38—श्री मंत्री प्रसाद नैथानी
39—श्री यतीश्वरानन्द
40—श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"
41—श्री रस्सैल वैलेन्टाइन गार्डनर
42—श्री राजकुमार
43—श्री राज कुमार ठुकराल
44—श्री राजेश सिंह भण्डारी
45—श्री राजेश शुक्ला
46—श्री ललित फर्स्वाण
47—श्री विक्रम सिंह नेगी
48—श्री विजयपाल सिंह सजवाण
49—श्रीमती विजय बड़थ्वाल
50—श्री विशन सिंह चुफाल
51—श्रीमती शैला रानी रावत
52—श्री संजय गुप्ता
53—श्री सरवत करीम अंसारी
54—श्रीमती सरिता आर्य
55—श्री सहदेव सिंह पुण्डीर
56—श्री सुबोध उनियाल
57—श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल
58—श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
59—श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
60—श्री हरक सिंह रावत
61—श्री हरबन्स कपूर
62—श्री हरभजन सिंह चीमा
63—श्री हरिदास
64—श्री हरीश धामी
65—श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
66—श्री हेमेश खर्कवाल

मंगलवार, दिनांक 05 जून, 2012 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप देहरादून में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल के सभापतित्व में आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष –

कृपया आसन ग्रहण करें।

प्रश्नकाल

अल्पसूचित प्रश्न

गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने हेतु सरकार का विचार

**1–श्री अजय टम्टा–

क्या सामान्य प्रशासन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गैरसैंण में कैबिनेट की बैठक के आयोजन का निर्णय किया गया है?

यदि हाँ, तो मुख्यमंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार स्थायी राजधानी हेतु विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक क्रियान्वयन कर दिया जायेगा?

मुख्यमंत्री (श्री विजय बहुगुणा)–

गैरसैंण में कैबिनेट बैठक किये जाने हेतु आगामी विधान सभा सत्र में चर्चा किये जाने का निर्णय लिया गया है।

सरकार द्वारा राजधानी चयन के लिए दीक्षित आयोग का गठन किया गया था, जिसकी रिपोर्ट दिनांक 17.08.2008 को प्राप्त हुयी थी तथा दिनांक 16.07.2009 को आयोग की रिपोर्ट के चारों खण्ड विधान सभा पटल पर रख दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अजय टम्टा–

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानकारी लेना चाहता हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के साथ ही राजधानी का विवाद अभी तक सुलझा नहीं है, इसके लिए आयोग का गठन किया गया और राजधानी के सम्बन्ध में आयोग की रिपोर्ट इसी सदन में दिनांक 16.07.2009 को रखी गयी। मेरा प्रश्न यह है कि एक प्रकार से गैरसेंण को राजधानी बनाने का विषय पूरे प्रदेश की जनता की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। आगामी कैबिनेट को वहाँ बुलाना, उत्तराखण्ड राज्य की जनता की भावनाओं को उकसाना है। मेरा प्रश्न यह है कि सरकार उत्तराखण्ड की जन भावनाओं को उकसाने के लिए वहाँ कैबिनेट करना चाहती है या उसको राजधानी बनाने के लिए वास्तव में कोई निर्णय लेना चाहती है?

वित्त, भाषा, संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, जब सरकार कार्य करती है तो पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करती है। यह सही है कि गैरसैंण के सम्बन्ध में जो आयोग गठित हुआ उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है और उसके चारों खण्ड सदन के पटल पर रख दिये गये हैं। उसका अध्ययन सभी माननीय सदस्य, जिनकी इसमें अधिक रूचि है, कर चुके हैं। आयोग की रिपोर्ट का सारांश और सारे निर्णय हैं, वह सबने पढ़ लिये हैं। जहाँ तक प्रश्न है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, (व्यवधान) उनकी मंशा और नीयत दोनों साफ हैं। गैरसैंण के बारे में प्रारम्भ से ही मांग रही है। आपको और सभी माननीय सदस्यों को वहाँ की भौगोलिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी है। आपका भी 5 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है, आप भी इच्छा रहते हुए भी बहुत कुछ नहीं कर सके।

श्री अजय टम्टा–

मान्यवर, रिपोर्ट हमारे समय में प्रस्तुत हुई।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, प्रस्तुत आपके समय में हुई तो रिपोर्ट तो आपने पढ़ ली। अब माननीय मुख्यमंत्री जी जब गैरसैंण गये तो वहाँ के लोगों की मांग पर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम गैरसैंण के मुद्दे को विलुप्त नहीं होने देंगे। उसके महत्व को बरकरार रखने के लिए कैबिनेट की एक बैठक वहाँ पर करेंगे। वहाँ पर कोई स्थान नहीं है, उसकी व्यवस्था की जा रही है और 2 अक्टुबर की तिथि उन्होंने दी है। मुझे लगता है कि जो उन्होंने घोषणा की है, उसका पालन किया जाएगा और वहाँ पर कुछ स्थाई निर्माण हो, इस पर भी हमारी चर्चा हुई है। कितना बजट आएगा, क्या आएगा, इस पर भी चर्चा हुई है। प्रयास किया जा रहा है कि गैरसैंण काफी लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, कुछ लोगों का भौगौलिक कारणों से जूड़ाव है, वहाँ पर एक बैठक करके और वहाँ पर ऐसा निर्माण करके जहाँ पर कुछ कार्य हो सके, प्रयास किया जा रहा है।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आपने अपने उत्तर में लिखा है "गैरसैंण में कैबिनेट बैठक किये जाने हेतु आगामी विधान सभा सत्र में चर्चा किये जाने का निर्णय लिया गया है।" यानि कैबिनेट बैठक होगी, इसकी चर्चा विधान सभा में होगी या कैबिनेट बैठक होने के बारे में निश्चित कर लिया गया है ? पहला, मैं यह जानना चाहता हूँ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, कैबिनेट बैठक तो होगी, क्योंकि घोषणा कर चुके हैं, इसलिए कैबिनेट बैठक तो होगी।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आपने अपने उत्तर में कहा है कि जो आगामी विधान सभा सत्र होगा, उसमें चर्चा किये जाने का निर्णय लिया गया है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जो उसी समय बताए जाएंगे। ये बजट से सम्बन्धित हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इसमें लिखा है ''कैबिनेट बैठक किये जाने हेतु आगामी विधान सभा सत्र में चर्चा किये जाने का निर्णय लिया गया है।'' यह बताया है आपने।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, वहाँ क्या बताया जाएगा, क्या हो सकता है। इस बारे में सदन को विश्वास में लिया जाएगा। आप विश्वास में रहना चाहते हैं तो आपकी राय मांगी जाएगी।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री इतनी वरिष्ठ मंत्री हैं। क्या कैबिनेट की बैठक हाऊस में बताई जाती है? कैबिनेट की बैठक तो गोपनीय होती है। कैबिनेट की बैठक की चर्चा यहाँ होने का तो सवाल ही नहीं है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, सबको पता रहता है कि कैबिनेट की बैठक कब हो रही है और उसके अलावा कैबिनेट की बैठक होगी, इसकी घोषणा सार्वजनिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, कुछ गोपनीयता नहीं है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आपने यह लिखना चाहिये था, लेकिन आपने उत्तर में लिखा है कि विधान सभा के सत्र में इसकी चर्चा करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, इस पर आपका भी संरक्षण चाहिये, आप भी इस उत्तर को एक बार पढ़ लीजिये।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं विधान सभा के सदन में बोल रही हूँ कि दो अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक गैरसैंण में होगी। इसमें क्या आपत्ति है? आधिकारिक रूप से, सरकार की ओर से मैं सदन में इस बात को बोल रही हूँ कि दो अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक गैरसैंण में होगी, निर्णय बहुत सारे होते हैं, जिसमें सदन को भी विश्वास में लिया जाना होता है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इसी को उत्तर में लिखा जाना चाहिये था।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इसका आशय यही था।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, एक अनुपूरक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ, माननीय सदस्य ने पूछा था कि सरकार गैरसैंण को स्थाई राजधानी हेतू विचार करेगी? सीधा सा प्रश्न था, लेकिन उत्तर घुमाकर दिया गया कि रिपोर्ट आ गई है, उसके चार खण्ड हैं, जबकि इसका कोई अर्थ नहीं है। सरकार सीधे–सीधे यह बताये कि गैरसैंण में सरकार स्थाई, अस्थाई या ग्रीष्मकालीन राजधानी बनायेगी या नहीं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आप अपना मंतव्य बता दीजिये, मैं उत्तर दे देती हूँ। (व्यवधान) मान्यवर, जो रिपोर्ट सदन में आई, उसके चार खण्ड थे, आपने उसे पढ़ लिया, आपको उसका अर्थ भी पता है, भावार्थ भी पता है, नीयत भी मालूम है और भाषा भी मालूम है। आप जो कहलवाना चाहते हैं, उसे बता दें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, सरकार की जो मंशा हो, उसे बता दीजिये।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, हमने तो अपनी मंशा बता दी है कि हम वहां पर दो अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक करेंगे, उसके लिये क्या निर्माण करना है, वह भी हमने बता दिया है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, यह पर्वतीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला है और सरकार घुमा–फिरा कर जवाब दे रही है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने स्पष्ट पूछा है कि ''सरकार यह बताने का कष्ट करे कि सरकार स्थायी राजधानी हेतु विचार कर रही है।'' सरकार को इस पर कहना चाहिये था, हाँ या नहीं, लेकिन सरकार का उत्तर आया कि रिपोर्ट आ गई और खण्ड आ गये।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, सरकार वह बतायेगी, जो तथ्य होगा, तथ्य यह है कि एक आयोग गठित हुआ था, उस तथ्य से आप अवगत हैं, उसके चार खण्डों को सदन के पटल पर रखा रखा गया, जिसका अध्ययन आपने कर लिया और हमने भी कर लिया है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आखिर सरकार का निर्णय क्या है, सरकार हाँ या ना में जवाब दे इस प्रश्न का ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जब आप उत्तर प्रदेश से उत्तराखण्ड आये, मैं भी आपके साथ आई, आप सत्ता में थे, आपने यहां देहरादून में यह सदन बना दिया, हमें इसमें बैठने का सौभाग्य मिला, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। आपने हमको भी बैठने का मौका दे दिया, इसका अर्थ यह हुआ कि आपने तो पहले ही राजधानी घोषित कर दी थी, आपने तो आयोग की प्रतीक्षा भी नहीं की।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री तीरथ सिंह–

मान्यवर, फिर सरकार जनता को गुमराह क्यों कर रही है?

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, क्या रावत जी को माननीय मदन कौशिक की क्षमता पर भरोसा है या नहीं है?

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री तीरथ सिंह–

मान्यवर, प्रश्न यह है कि आप स्थाई राजधानी गैरसैंण में बनायेंगे या नहीं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, गुमराह करना हमारा काम नहीं है, आपको भी पांच वर्ष मिले थे, आपने इस संबंध में कोई काम नहीं किया था, लेकिन हम कर रहे हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि जब एक सदस्य बोल रहे हों तो बीच में टोका–टाकी न करें।

श्री अजय टम्टा–

मान्यवर, मेरा सीधा सा प्रश्न था, लेकिन सरकार की ओर से घुमा–फिरा कर इसका उत्तर आया है। मैंने पूछा कि उत्तराखण्ड राज्य के लोगों की भावनाओं के अनुसार क्या गैरसैंण में सरकार ने कैबिनेट की बैठक करने का कोई निर्णय लिया है तो उत्तर आया कि "गैरसैंण में कैबिनेट बैठक किये जाने हेतु आगामी विधान सभा सत्र में चर्चा का निर्णय लिया गया है।" दूसरा मेरा प्रश्न था कि (व्यवधान)। या तो उत्तर हाँ या ना आता। आपने कहा कि आप उत्तर प्रदेश से आये, आपने सरकार बनायी।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आप प्रश्न पूछिये।

श्री अजय टम्टा–

मान्यवर, मेरे कहने का अर्थ है (व्यवधान) मान्यवर, जैसे कैबिनेट करने का निर्णय ले लिया वैसे ही हाँ या ना में उत्तर मिल जाय।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मिल जायेगा, मिल जायेगा। मान्यवर, आयोग के चार खण्ड रख दिये गये हैं सदन के पटल पर, उसका अध्ययन किया जा रहा है, अध्ययन पूर्ण होने पर सदन को अवगत करा दिया जायेगा। (व्यवधान)

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, हमने यह पूछा ही नहीं कि आपने अध्ययन किया या नहीं किया। आपका संरक्षण चाहिए मान्यवर, प्रश्न यह है कि राजधानी आप बनायेंगे या नहीं बनायेंगे? (व्यवधान)

तारांकित प्रश्न

*1–श्री दान सिंह भण्डारी–

द्वितीय बुद्धवार के तारांकित 13 में स्थानान्तरित।

जनपद देहरादून अन्तर्गत मसूरी में विधवा/विकलांग/वृद्धा/परित्यक्ता पेंशन शिविर लगाने पर सरकार का विचार

*2–श्री गणेश जोशी–

क्या समाज कल्याण मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत मसूरी विधान सभा क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों एवं पिछड़े क्षेत्रों में अधिसंख्य पात्र लोग विधवा/विकलांक/वृद्धा/परित्यक्ता पेंशन से वंचित हैं?

यदि हाँ, तो क्या सरकार मसूरी विधान सभा क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम स्तर/वार्ड स्तर पर विधवा/विकलांग/वृद्धा/परित्यक्ता पेंशन शिविर लगायें जाने पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

चिकित्या, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी)–

जी नहीं,

(परित्यक्ता पेंशन को छोड़कर)

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार,

प्रश्न नहीं उठता।

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि 31 मार्च, 2012 तक मेरे विधान सभा क्षेत्र मसूरी में कितने लोगों को विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन मिली है नम्बर–एक, नम्बर–दो, क्या सरकार जगह–जगह कैंप लगाकर विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, परित्यक्ता पेंशन प्रदान करती हैं?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, माननीय सदस्य जी ने मसूरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जो प्रश्न किया है, जिज्ञासा चाही है उसके बारे में जो मसूरी विधान सभा में लाभार्थियों की संख्या है 1506 है, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन 2098, विकलांग पेंशन 1229 महिलाओं की विधवा पेंशन स्वीकृत की गयी। परित्यक्ता और विकलांग महिला, मानसिक रूप से विकृत व्यक्तियों की निराश्रित विधवा के भरण–पोषण के लिए नियमावली, 2011 के अन्तर्गत राज्य में ऐसी किसी भी पात्र लाभार्थी को पेंशन प्रदान नहीं की गयी है क्योंकि ऐसे लाभार्थियों का सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से कुल संख्या 1590 बतायी है और जो आंकड़े दिये हैं, पूरे आंकड़े नहीं दिये हैं। एक तो मैं कहूँगा कि पूरे आंकड़े दिये जाएं। दूसरा मैंने सवाल पूछा था कि क्या सरकार कैंप लगाकर इन पेंशनों का निस्तारण करती है?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, कैंप लगाये जाने कि व्यवस्थाहै और समय–समय पर कैंप लगाये जाते हैं और जो आपने जानकारी चाही है कि वृद्धावस्था पेंशन जो दी गयी डाकघर के द्वारा

645 लोगों को मसूरी विधान सभा के अन्दर दी गयी। को आपरेटिव बैंक और मिनी बैंक के द्वारा 861 दी गयी, विधवा पेंशन 508 लोगों को दी गयी। को आपरेटिव बैंक से 690 लोगों को दी गयी, बैंक द्वारा 31 लोगों को दी गयी, विकलांग पेंशन 176 लोगों को दी गयी , बैंक के द्वारा 78 लोगों को दी गयी, मनीआर्डर के द्वारा 44 लोगों को दी गयी।

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर अभी माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा कि कैंप लगाकर निस्तारण करते हैं। वहीं मेरे प्रश्न के जवाब में लिखा हुआ है, मैंने कहा कि क्या सरकार मसूरी विधान सभा क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम स्तर/वार्ड स्तर पर विधवा/विकलांक/वृद्धा/परित्यक्ता पेंशन शिविर लगाये जाने पर विचार करेगी। तो उत्तर आया कि प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, आपने प्रत्येक का पूछा था । आपने वार्ड भी लिख दिय, ब्लाक भी लिख दिया, हर स्तर लिख दिया जो शिविर लगाने की प्रक्रिया है। (व्यवधान)

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, यह कैंप लगाने की प्रक्रिया क्या होगी, पंचायत स्तर पर लगाये जाएंगे या न्याय पंचायत स्तर पर लगाये जाएंगे?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, जैसे–जैसे आवश्यकता होती है, एक रोस्टर बनता है उसके आधार पर पूरे प्रदेश में कैम्प लगाये जाने की व्यवस्था है।

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पूर्व में मनीआर्डर द्वारा पेंशन भेजने की व्यवस्था थी, लेकिन अब मिनी बैंकों में पेंशन भेजी जा रही है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में बुरासखण्डा क्षेत्र जो दूरस्थ क्षेत्र है, वहाँ पर कई ऐसे केसेस हैं। जब मैं उस क्षेत्र में भ्रमण पर गया, तो वहाँ पर उनकी पेंशन मिनी बैंक गुजराड़ा में भेजी गई। मेरा आपसे अनुरोध है कि उनकी पेंशन सीधे–सीधे पूर्व की भाँति मनीआर्डर द्वारा भेजी जाये। क्या माननीय मंत्री जी ऐसा करेंगे?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, पहले मनीआर्डर द्वारा सीधे पेंशन भेजे जाने की व्यवस्था थी। लेकिन विगत पाँच सालों में कुछ परिवर्तन किया गया और उस परिवर्तन के माध्यम से कुछ असुविधा लाभार्थियों को होती रही, एक बार पुनः कोशिश की जा रही है कि बैंक खाते जहाँ बैंक उपलब्ध हैं, जहाँ पर पोस्ट आफिस उपलब्ध हैं, वहाँ पर उनके खातों में जमा होगी और जहाँ दोनों नहीं हैं वहाँ पर मनीआर्डर की व्यवस्था की जायेगी।

प्रदेश में सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व ऐलोपैथिक चिकित्सालयों की संख्या तथा उनके सापेक्ष तैनात चिकित्सक

*3–श्री गणेश जोशी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कितने सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/एलोपैथिक चिकित्सालय है और उनके सापेक्ष कितने स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सक तैनात हैं?

क्या यह सत्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों के रिक्त पदों के कारण स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा स्थायी समाधान हेतु कोई योजना तैयार की गयी है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

सुरेन्द्र सिंह नेगी–

प्रदेश में 59 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 254 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 321 राजकीय एलोपैथिक डिस्पैसरी (एस0ए0डी0) एवं 120 अन्य (बेस/जिला/महिला/ग्रामीण महिला/टी0बी0 क्लीनिक/क्षयरोगाश्रम आदि) चिकित्सालयों सहित, कुल 763 चिकित्सा ईकाईयों स्थापित हैं, जिनके सापेक्ष 449 चिकित्सा ईकाईयों पर चिकित्सक तैनात है।

जी हाँ।

जी हाँ।

वर्तमान में विशेषज्ञ चिकित्सकों के 583 रिक्त पदों को भरे जाने हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है।

महानिदेशालय स्तर पर प्रत्येक मंगलवार को वॉक इन–इन्टरव्यू के माध्यम से संविदा के आधार पर सामान्य/विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री गणेश जोशी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के जवाब में कहा कि प्रदेश में 59 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सरोना इन 59 में से एक है? एक है तो वहाँ पर कितने डाक्टर्स और कितने कर्मचारी तैनात हैं?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, सरोना का आप अलग से दे देंगे तो आपको बता दिया जायेगा। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरोना सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है। इसमें जो व्यवस्था है उसके अनुसार वहाँ डाक्टर होने चाहिए।

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, आपके मानकों के अनुसार एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में कितने डाक्टर होने चाहिए?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं आपको पूरा बता देता हूँ। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 09 से लेकर 13 डाक्टरों की पोस्ट होती है, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 03 होती हैं, एस.ए.डी. में एक होती है।

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि जो आपने 59 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बताये, क्या सरोना उनमें से एक हैं?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, उसमें से एक होना चाहिए। यह आपने राज्य स्तर पर पूछा है। अगर आप अलग से प्रश्न करेंगे तो इसकी सूचना आपको अलग से दे दी जायेगी।

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय मंत्री जी को अपने विभाग के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जबकि सरोना स्वास्थ्य केन्द्र की बिल्डिंग को बने हुए आज चार वर्ष हो गये है।(घोर व्यवधान) अभी तक वह हैंडओवर नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय जोशी जी, आपने पूरे प्रदेश के बारे में प्रश्न पूछा है। (व्यवधान)

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, आपका संरक्षण चाहिए, हम प्रदेश के बारे में तो प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन माननीय मंत्री जी को इतना ध्यान रहना चाहिए कि जब अमुक व्यक्ति प्रदेश की बात पूछ रहा है तो कहीं न कहीं अनुपूरक में अपने विधान सभा क्षेत्र का प्रश्न पूछेगा, इतनी तैयारी तो होनी चाहिए। (घोर व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, यह परम्परा रही हैं, अगर कोई प्रश्नकर्ता प्रश्न करता है तो वह पूरे प्रदेश को लेकर करता है। लेकिन यह उनके विधान सभा क्षेत्र का मामला है, वह उसकी जानकारी जरूर लेगा। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने हमको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और उन्होंने कहा कि वहाँ पर लगभग चार साल से बिल्डिंग बनी है, वह बन्द है और कहा जा रहा है कि उसमें ताला लगा है या उसमें कोई मवेशी रह रहे हैं तो इन चार सालों का लेखा–जोखा कौन करेगा यह तो स्वतः ही समझना चाहिए? (व्यवधान के मध्य)

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि प्रदेश में 763 इकाईयां स्थापित हैं। उनमें डाक्टरों के कुल कितने पद सृजित हैं? दूसरा , जो डाक्टरों के पद सृजित हैं या काम कर रहे हैं उनमें से कितने डाक्टर जनपद हरिद्वारा, देहरादून और ऊदमसिंह नगर में काम कर रहे हैं और कितने पहाड़ में काम कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, 763 पर सृजित हैं। (घोर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, 763 तो इकाईयां हैं, पद कितने सृजित हैं? (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय ठुकराल जी, आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रश्न को पुनः कह देता हूँ। आपने कहा कि 763 इकाईयां प्रदेश में काम कर रही हैं। इन इकाईयों में कुल कितने पद सृजित हैं? इन इकाईयों में जितने डाक्टर काम कर रहे हैं तो कितने डाक्टर हरिद्वार, देहरादून और ऊधमसिंह नगर में काम कर रहे हैं और कितने पर्वतीय क्षेत्र में काम कर रहे हैं?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, कुल 2414 पद सृजित हैं, जो कार्यरत् हैं वह 1157 हैं। (घोर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इन कार्यरत् डाक्टरों में से कितने डाक्टर तीन जिलों में हैं। मान्यवर, यह बहुत आसान सवाल है। (व्यवधान) मैंने पूछा कि कितने डाक्टर तीन जिलों में हैं? मेरी जानकारी के अनुसार इन तीन जिलों में ज्यादा डाक्टर हैं और पर्वतीय क्षेत्र की ऐसी कितनी इकाईयां हैं जो इस समय डाक्टर विहीन हैं? (व्यवधान) मैं उत्तर बाद में आपके कक्ष से ले लूँ। (हँसी)

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, यह विस्तृत जानकारी है। अगर आप कहें तो जिलेवार बताऊँ। (घोर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैंने जिलेवार प्रश्न पूछा ही नहीं है। (घोर व्यवधान)

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सरोना में डाक्टर आने कब से शुरू हो जायेंगे और कब से वहाँ के लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा मिलने लगेगी? (कई माननीय सदस्यगण के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, जल्दी नियुक्ति की जायेगी। (घोर व्यवधान)

प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति के जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की प्रक्रिया का सरलीकरण।

*4–श्री सरवत करीम अंसारी–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति के प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हाँ।

सरलीकरण की प्रक्रिया पर शासन स्तर से कार्यवाही गतिमान है। इसी क्रम में उत्तराखण्ड विधानसभा के दिनांक 18.03.2010 को सम्पन्न उपवेशन में एक शासकीय संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया गया था कि " यह सदन भारत सरकार से अनुरोध करता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने में आ रही कठिनाईयों के निराकरण हेतु यथोचित दिशा–निर्देश जारी करने का कष्ट करें।" जिसे शासन के पत्र दिनांक 03.05.2010 द्वारा भारत सरकार को प्रेषित किया गया। किन्तु भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई दिशा–निर्देश वर्तमान तक निर्गत नहीं किए गए हैं।भारत सरकार से दिशा–निर्देश प्राप्त होने के पश्चात् ही जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया के सरलीकरण के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही की जाएगी।

शासन स्तर पर भी इस सम्बन्ध में विचार–विमर्श किए जाने हेतु प्रमुख सचिव–कार्मिक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री सरवत करीम अंसारी जी सदन में उपस्थित नहीं हैं।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, यदि आपकी अनुज्ञा है तो और भी लोग इसमें पूछ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मै आपकी अनुज्ञा से जानना चाहता हूँ कि शासन स्तर पर इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव की............(व्यवधान)

नियोजन,सूचना प्रौद्योगिकी व खेल मंत्री (श्री दिनेश अग्रवाल)–

मान्यवर, आपको माननीय अध्यक्ष जी ने अनुमति दी है?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जी हाँ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने एक पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, ठीक है।

श्री हेमेश खर्कवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है और प्रश्नकाल से सम्बन्धित है, कल मेरे द्वारा उच्च शिक्षा से सम्बन्धित एक प्रश्न लगा था टनकपुर महाविद्यालय का तो उसमें मैंने सरकार से यह जानना चाहा था कि "क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टनकपुर महाविद्यालय में विज्ञान विषय स्वीकृत है?" तो इस अतारांकित प्रश्न का लिखित उत्तर मेरे पास आया कि "जी नहीं"। तब मैंने महाविद्यालय को फोन किया क्योंकि मैंने उस समय महाविद्यालय खुलवाया था और वहाँ से जो कागज मंगवाय हैं, वह पत्र मैं आपको भी दे रहा हूँ, तो उनके हिसाब से दिनांक 24 सितम्बर, 2007 द्वारा

राजकीय महाविद्यालय, टनकपुर को शैक्षिक सत्र 2007–08 से स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय, गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा वाणिज्य संकाय प्रारम्भ करने के लिये अनुमति क्लीयरेंस प्रदान की गयी है। मान्यवर, इसमें साफ उल्लेख है इसलिए मैं चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें अपना वक्तव्य दें कि कहाँ लापरवाही हो रही है, ऐसे उत्तर क्यों आ रहे हैं, यह गम्भीर मामला है, इसमें दण्डित करने की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में आयें तो वे इस पर अपना वक्तव्य दें।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार की ओर से गलत जवाब आ रहा है।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, सत्तापक्ष के एक माननीय विधायक इतनी गम्भीर बात बता रहे हैं कि सदन में उनको गलत उत्तर दिया गया है, हम तो विपक्ष के हैं हमारा तो काम ही है प्रश्न पूछने का यहाँ पर आपको गलत उत्तर दिया गया और स्कूल कहता है कि उसको मान्यता मिल गई है, तो यह कम गम्भीर नहीं है यह सदन की स्पष्ट अवमानना है। मैं सदन की अवमानना के लिए मौखिक नोटिस देता हूँ, इसको सुन लिया जाए, यह बहुत ही गम्भीर मसला है इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी पर्सनली यहाँ पर आकर अपना वक्तव्य दें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय खर्कवाल जी, आप नियमों के अन्तर्गत अलग से इसकी सूचना दे दें, इसका जवाब आ जायेगा।

श्री हेमेश खर्कवाल–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है, इसमें सबको गुमाराह किया गया है। मान्यवर, अगर ट्रेजरी बैंच इसका संज्ञान नहीं लेगी, सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेगी तो हमारे पास कोई चारा नहीं रहेगा।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी ओर से विनिश्चय आ सकता है।

श्री अध्यक्ष–

आप इसमें अलग से सूचना दे दें, जवाब आ जायेगा।

श्री अजय टम्टा–

माननीय अध्यक्ष जी, यह ठीक है कि नये–नये मंत्रियों को जानकारी नहीं है पर यहाँ तो अधिकारियों को भी जानकारी नहीं है। माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है यह बहुत महत्वपूर्ण है और माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें अपना वक्तव्य दें।

श्री अध्यक्ष–

संगत नियमों के अन्तर्गत आप सूचना दे दें, उस पर निश्चित रूप कार्यवाही की जायेगी।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा है कि एक मंत्री परिषद् की उप समिति इसमें बनायी गयी है, एक सचिव कार्मिक की अध्यक्षता में समिति बनायी गयी है। माननीय अध्यक्ष जी, यह सदन सर्वोपरि है, इस सदन की एक कमेटी बनायी गयी थी, उसकी रिपोर्ट आपके पास है, उस रिपोर्ट पर सरकार ने क्या कार्यवाही की? उसके बाद ये जो दो समितियों बनायी गयी हैं, ये दोनों कमेटियां बनायी गयी हैं, ये दोनो कमेटियां क्या पहले की कमेटी से ज्यादा पावरफुल हैं, जो सदन की कमेटी बनी थी या फिर उसका निर्णय क्या है? (बैठे–बैठे माननीय दिनेश अग्रवाल और माननीय मदन कौशिक जी आपस में टोका–टाकी करने लगे, जिससे व्यवधान उत्पन्न हूआ।)

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही संवेदनशील एक मामला है और जिसकी गहराईयों में जाना बहुत आवश्यक होगा, चूंकि इसमें भारत सरकार के भी दिशा निर्देशन हैं, जिसके आधार पर हम लोग इसमें कुछ परिवर्तन और संशोधन कर सकेंगे। मान्यवर, चूंकि बहुत सारे संगीन बिन्दु हैं जिन पर कार्यवाही की जानी है। इसके बारे में बहुत सारे बिन्दु हैं और वे अंग्रेजी में लिखे हुए हैं चूंकि आप संशोधन की बात करे रहे हैं, चूंकि जब तक भारत सरकार से इसकी अनुमति नहीं मिलेगी, तब तक आप चाहे कोई भी कमेटी बना लीजिए यह कुछ नहीं कर पायेगी। लगातार कोशिशें होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैंने यह सवाल ही नहीं पूछा है कि कमेटी क्या करेगी, क्या नहीं करेगी। मैंने कहा कि एक सदन ने समिति का गठन किया और सदन सर्वोपरि है, सर्वशक्तिमान है। जब कमेटी की रिपोर्ट सदन में आ गयी, उसके बाद आपने जो सरलीकरण समिति गठित की उसका औचित्य क्या है? यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, औचित्य इसलिए और गम्भीर हो जाता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, चूंकि मसला बहुत ही गम्भीर है। मैं कुछ बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चहता हूँ, जिन पर शायद कमेटी ने चर्चा नहीं की है, उनके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। चूंकि बिन्दु अंग्रेजी में हैं, यदि मा0 अध्यक्ष जी की अनुमति हो तो उसे मैं सदन के समक्ष पढ़ लूं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह नियम है आप अंग्रेजी में पढ़ोगे तो उसका हिन्दी अनुवाद भी आपको साथ–साथ करना पड़ेगा।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, हिन्दी में भी बोलेंगे। जो संशोधन भारत सरकार को भेजा गया था और जो आड़े आ रहा है। इसमें संशोधन भारत सरकार को ही करना होगा। तभी इसमें हम लोग अग्रेत्तर कार्यवाही कर पायेंगे। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पूछा एक सदन सर्व शक्तिमान है, सर्वोपरि है। सदन की कमेटी बनी, उसकी रिपोर्ट आ गयी , वह सदन में पेश हो गयी। मान्यवर, सदन से बड़े अधिकारियों की कमेटी है, जो आपने बनायी है? मैं यही जानना चाहता हूँ।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, सदन में जो अधिकारियों की दूसरी एक कमेटी बना दी गयी है। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, वह सर्वशक्तिमान नहीं है। (व्यवधान) सदन सर्वशक्तिमान है।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, मंत्री मण्डल की सब कमेटी सर्वशक्तिमान है और वह एक्सरसाईज करेगी और भारत सरकार से निवेदन करेगी और इसमें कोई रास्ता निकाला जायेगा। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, पहले एक समिति बनी थी, सदन में रिपोर्ट प्रस्तुत हुई और उसके बाद अधिकारियों की कमेटी बनाने का औचित्य ही क्या है? (घोर व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, पिछली सरकार ने इस पर कुछ किया ही नहीं तो अब क्या किया जाय। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(माननीय अध्यक्ष जी द्वारा प्रश्न संख्या 05 पुकारे जाने पर।)

(माननीय सदस्य सरवत करीम अंसारी जी के सदन में आने पर, उनके द्वारा कहा गया, ''माननीय अध्यक्ष जी प्रश्न संख्याः–4 मेरा था, इस पर बहस तो हो चुकी है, चूंकि मैं जाम में फंस गया था। मैं एक लाईन में प्रश्न करूंगा''।)

श्री सरवत करीम अंसारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक लाईन में आपको बताना चाहूंगा–"यहाँ की जो हालत बताने लगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगे, कहीं भीड़ में खो गई आदमीयत, जिसे ढूंढने में जमाने लगे।" मान्यवर, यहाँ के ये हाल हैं। (हंसी) मान्यवर, माननीय मदन कौशिक जी बहुत हंस रहे हैं, मैं इनको भी बता दूँ–

जो हो तो सबके लिए हो, ये जिद हमारी है,

बस एक बात पे दुनिया से जंग जारी है।

सलामत रहे विजय बहुगणा की सरकार,

ये एक चिराग कई आंधियों पर भारी है। (व्यवधान)

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति का प्रमाण–पत्र बनाने हेतु प्रदेश में कितने वर्ष पूर्व निवास किया जाना अनिवार्य है ? मान्यवर, प्रदेश की अधिकांश जनसंख्य 1958 के अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सकती है। कौशिक समिति ने 9 नवम्बर, 2000 को कट ऑफ डेट की सिफारिश की थी, उसे क्यों नहीं लागू किया गया ? जो लोग 40 साल से उत्तराखण्ड की सीमा में रहे रहें हैं किन्तु जिनके पास अभिलेख नहीं हैं, उनके साथ अन्याय है। (व्यवधान) मान्यवर, इस पर चर्चा होनी चाहिए और चर्चा होने के साथ–साथ यह पता चलना चाहिए कि क्यों नहीं बनाएं जा रहे हैं।

(श्री अध्यक्ष द्वारा प्रश्न संख्या–5 पुकारे जाने पर)

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें एक छोटा सा प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो पूछा है, उसका जवाब नहीं आया है। प्रमाण–पत्र बनाने के लिए इस प्रदेश में कितने समय से निवास करना होगा ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, यह आपस क बात है।

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, यह आपस की बात नहीं है, सदन की बात है। सदन जानना चाहता है, अगर कोई सवाल आया है तो। (व्यवधान)

उत्तराखण्ड में परा चिकित्सा परिषद के गठन की प्रगति व (बी0आर0डी0 आई0टी0) के स्नातकों को रेडियो टैक्नौलौजिस्ट की नियुक्ति का सेवा नियमावली में प्राविधान।

*5–श्री पुष्कर सिंह धामी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र 2011 के प्रथम सोमवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या–04 के सन्दर्भ में बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद् के गठन की क्या प्रगति हैं?

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि बैचुलर इन रेडियोडॉग्नोसिस एण्ड इमेजिंग टैक्नोलॉजी (बी0आर0डी0/आई0टी0) के स्नातकों को रेडियो टैक्नौलौजिस्ट नियुक्त किये जाने हेतु सेवा नियमावली में प्राविधान किया जायेगा?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–571/XXXIII(1)2011–02 (पैरामेडिकल)/2009–टी0सी0–1, दिनांक 06.06.2011 (यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या–613 (2)/XXXIII(1)2011–02 (पैरामेडिकल)/2009–टी0सी0–1, दिनांक 16.06.2011 द्वारा उत्तराखण्ड परा–चिकित्सा परिषद गठित है।)

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के ढाँचे में बैचुलर इन रेडियोडॉग्नोसिस एण्ड इमेंजिंग टैक्नोलॉजी (बी0आर0डी0/आई0टी0) के पर सृजित नहीं है। उक्त पद सृजित न होने के कारण सेवा नियमावली प्रख्यापित किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

श्री पुष्कर सिंह धामी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, (व्यवधान) जोर से बोलूँ। (व्यवधान) अब आप लोग सुनना ही नहीं चाहते हैं तो आवाज तो धीमे लगेगी ही। मान्यवर, मैंने प्रश्न पूछा है कि हमारे उत्तराखण्ड में चिकित्सा परिषद् गठित है या नहीं और अगर गठित है तो उसमें किन–किन डिप्लोमा और डिग्री धारकों को रजिस्ट्रेशन होता है और परिषद् में सीमित डिप्लोमा और डिग्री धारकों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था क्यों की गयी है तथा अन्य कोर्स डी0 आर0डी0 व आई0टी0 कोर्स जिनकी कि यहाँ वर्ष 2004–2005, 2005–2006 और 2006–2007 में ट्रेनिंग हो चुकी है, उनके रजिस्ट्रेशन की क्या व्यवस्था है?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप 571 दिनांक 16–06–2011 द्वारा उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद् गठित है। आपने दूसरा प्रश्न किया कि इसके रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है ओर जो बैचलर इन रेडियोडॉग्नोसिस एण्ड इमेजिंग टैक्नोलॉजी के पद सृजित नहीं हुये थे, उसके कारण कुछ दिक्कतें पैदा हुई थी, लेकिन उसके बावजूद फैकल्टीज की कोशिशें की गई और वर्ष 2004–05 में, 2005–06 में, 2006–07 और 2007–08 में हल्द्वानी में कक्षा संचालित की गई थी, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया था। जिसकी वजह से कुछ दिक्कतें सामने आई और डिप्लोमा धारकों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री पुष्कर सिंह धामी–

मान्यवर, बी0आर0डी0 और आई0टी0 के जो पद सृजित नहीं हुये हैं, उनके संबंध में जानना चाहता हूँ, वह क्यों नहीं किये गये है? क्योंकि उन लोगों ने काफी पैसा खर्च कर शिक्षा ग्रहण की है और उनके तीन बैच पास आउट हो चुके हैं। मेरे संज्ञान में यह भी आया है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा भी इस सदन को बताया गया था कि इस परिषद् के गठन के उपरान्त सभी डिग्री और डिप्लोमा धारकों का पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन सम्भव हो सकेगा और उसके बाद ही नियमावली आयेगी।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, यह सही है कि वर्ष 2004 और 2005 में 29 छात्रों ने बैचलर डिग्री ली थी, वर्ष 2005–06 में 22 छात्रों ने डिग्री ली थी और वर्ष 2006–07 में 24 लोगों को डिग्री प्रदान की गई। लेकिन उसके बाद यह कोर्स ही खत्म कर दिया गया।

श्री पुष्कर सिंह धामी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जिन लोगों ने पढ़ाई पूरी कर ली है, तो उनके लिये क्या व्यवस्था सरकार करने जा रही है?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, जो हमारी परिषद् गठित हुई है, उसमें कार्यवाही गतिमान है और हम इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन वर्ष 2007 के बाद लगातार पांच साल बीत जाने के बाद असुविधा कहीं न कहीं आयेगी। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो, पिछली सरकार ने उनके साथ किया था।

श्री पुष्कर सिंह धामी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि 2004–05, 2005–06, 2006–07, यह बैच वहाँ से पास आउट हुय हैं और उन्होंने अपना पूरा कैरियर इसी क्षेत्र

में लगा दिया है, पिछले पांच सालों में क्या हुआ, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन अब माननीय मंत्री जी ने नया कार्यभार संभाला है, तो माननीय मंत्री जी आपके माध्यम से सदन को बता दें कि कब तक इसको कर देंगे?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय धामी जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया और उन बच्चों के बारे में संवेदनशीलता जाहिर की, उसके लिये मैं आपके माध्यम से माननीय धामी जी को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। मान्यवर, हमारी कोशिश होगी कि जो समस्या उन बच्चों के सामने आई है, पिछली सरकार की बात नहीं करूंगा, लेकिन पिछले पांच सालों में हुई है, उसका निस्तारण करने की दिशा में................। (व्यवधान)

श्री पुष्कर सिंह धामी–

मान्यवर, वर्ष 2004–05, 2005–06, 2006–07 में तीन साल यह कोर्स चलाया गया। मैं यह भी कहना चाहूंगा पिछले जितने दिनों की सदन में कार्यवाही में भाग लिया है तो उसमें हर बार माननीय मंत्रीगणों द्वारा यही कहा जाता है कि पिछले पांच सालों में क्या हुआ और उन वर्षों में क्या हुआ, तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि खण्डूड़ी जी की सरकार ने यह कर दिया या तिवारी जी की सरकार ने यह कर दिया, उनकी कोई कमी निकालूं। अब हमारा नया सदन शुरू हुआ है, नवोदित राज्य है, तो नई चीजों को आगे बढ़ाने की बात होनी चाहिये। यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है, तीनों बैचों में कुल मिलाकर 180 छात्र हैं, तो उनके लिये कोई व्यवस्था सरकार के माध्यम से होनी चाहिये।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, पहली बात तो जिस बच्चे ने 2007 में अपनी डिग्री का कोर्स पूरा कर लिया होगा, वह अब तक खाली नहीं होगा और अगर खाली है तो उनकी व्यवस्थाएं करने के लिए सरकार प्रयास करेगी।

श्री पुष्कर सिंह धामी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी कट ऑफ डेट बता दें।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, क्या सरकार पैरामेडिकल कर्मचारियों के पद सृजित करेगी?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, आवश्यकता पड़ेगी तो करेगी।

(माननीय सदस्य श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुछ कहे जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

आपका उत्तर आ गया है, माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट बता दिया।

राज्य में बस संचालन के बंद रूटों पर स्थानीय जनता के आवगमन हेतु सरकार की योजना।

*6—श्री मदन कौशिक—

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में 326 बसों का संचालन बन्द कर दिया गया है?

यदि हाँ, तो क्या जिन रूटों पर बसों का संचालन बन्द किया गया है उन रूटों पर स्थानीय जनता के आवागमन हेतु सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गई है?

यदि हाँ, तो क्या?

यदि नहीं, तो क्यों?

समाज कल्याण एवं परिवहन मंत्री (श्री सुरेन्द्र राकेश)—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मदन कौशिक—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ये जो 326 बसों के संबंध में माननीय मंत्री जी के द्वारा यह कहा गया था कि 326 बसें ऐज पूरी कर चुकी हैं और उनको हमने बंद कर दिया है और इनके स्थान पर जहाँ—जहाँ यह बंद हुई हैं हम तत्काल नई बसें चालू करेंगे। अब माननीय मंत्री जी ने कहा, 'जी नहीं'। तो इनमें से कौन सी बात सही हैं? पहले तो यह जानना चाहता हूँ। राज्य में ऐसे कितने रूट हैं वर्तमान में जिन पर रोडवेज की बसें, जो रोडवेज के लिए निर्धारित हैं, उन पर बसों का संचालन नहीं किया जा रहा है।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी—

मान्यवर, पहली बात तो यह मैं आपको बताना चाहूँगा, कि 326 बसों का संचालन बंद नहीं किया गया है। ये यथावत् चल रही हैं। और इसमें जो आपने एक सवाल किया था कि जो अपनी आयु सीमा पूर्ण कर चुकी हैं। आयु सीमा कई तरह से मापी जाती है। पहला तो यह है कि जो मैदानी क्षेत्र के लिए एक व्यवस्था तय की गयी है कि 06 वर्ष होना चाहिए और आठ लाख किलोमीटर उसे चलना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र के लिए 06 वर्ष और पाँच लाख यह व्यवस्था अलग—अलग व्हील बेस के आधार पर डिफरेंट भी है। इसका यह अर्थ नहीं है कि वो आयु सीमा पूर्ण कर चुकी हैं। यदि बसों की फिटनेस ठीक है,

उसकी मशीनरी ठीक है, उसकी व्यवस्थाएं ठीक हैं तो जो राज्य परिवहन का पूरा जो सिस्टम है उसमें 15 साल की आयु होती है। 15 साल के बाद अगर वो चलती है तो ये कहा जा सकता है कि बसों ने आयु सीमा पूर्ण कर ली है। एक फौरी तौर पर उसकी मेंटीनेंस की व्यवस्था, उनकी बेहतर व्यवस्था को देखते हुए ही पैमाने बनाये गये हैं और सीमा 15 की है। सभी बसें चल रही हैं। कोई भी बस खड़ी नहीं है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, कितने रूट खाली है?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, सभी रूट पर गाड़ियां चल रही हैं

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आप दुबारा देख लीजिए। मैंने पूछा प्रदेश में ऐसे कितने रूट हैं जो रोडवेज के लिए नोटीफाईड हैं कि रोडवेज चलेगी? मेरी जानकारी के अनुसार इस समय अनेक ऐसे रूट हैं जहां रोडवेज की गाड़ी नहीं जा पा रही है। रोडवेज की कमी के कारण या स्टाफ के कारण या बहुत अधिक घाटे के कारण। माननीय मंत्री जी ने सदन में कहा कि सब पर जा रही है। एक बार दुबारा उत्तर ले लीजिए क्योंकि यह विशेषाधिकार हनन का मैटर बनेगा। निशिचत रूप से दुबारा पूछना चाहता हूँ।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, निगम के द्वारा 337 मार्गों पर गाड़ियां चल रही हैं और अधिसूचित मार्ग जो हैं, 52 हैं, सभी मार्गों पर बसें चल रही हैं(व्यवधान) मान्यवर, 337 रूट हैं, 52 अधिसूचित मार्ग हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, खुद माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो रोडवेज की गाड़ी पर्वतीय क्षेत्र में और मैदानी क्षेत्र में पाँच लाख और छः लाख इतनी चल चुकी हैं, ऐसी कितनी गाड़ियां वर्तमान में हैं जो पाँच लाख और छः लाख किलोमीटर चल चुकी हैं?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्रों में 176 गाड़ियाँ जो पाँच लाख चल चुकी हैं और मैदानी क्षेत्र में 202 गाड़ियाँ हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, ये कब तक अपनी आयु सीमा पूरी कर लेंगी?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, 15 साल के बाद।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, एक तो इनकी गारन्टी पूरी हो चुकी है, दो चीज होती हैं या तो 15 साल या 6 लाख। इनमें से आपने कहा 6 लाख पूरी कर चुकी हैं। आपने खुद कहा कि इनकी एज दो तरह से नापी जाती है। 15 साल या 6 लाख, इनमें से जो पहले हो जाय, ये गाड़ी की एज नापने का तरीका है। इसमें आपने कहा कि 6 लाख इतनी गाड़ी चल चुकी हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, यह निगम की एक व्यवस्था है, जो मैंने अभी आपको बताई और परिवहन का पूरा का पूरा एक सिस्टम ट्रान्सपोर्ट विभाग है। इसके अनुसार 15 साल है।

श्री रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

माननीय अध्यक्ष जी, मदन जी का दूसरा विषय था कि जो बसों का संचालन बंद हुआ है, यह सही है? उत्तराखण्ड की परिवहन निगम की बसों का सवाल नहीं है। ज्यादातर रूटों पर लगभग ढ़ाई सौ, तीन सौ बसों को लगा दिया गया है। आपका मूल सवाल यह है कि यदि यात्रा मार्गों पर उनको लगाया गया है तो कहीं न कहीं से उनको हटा कर लगाया गया है। दूसरा यह था कि जिन रूटों पर बसों का संचालन बंद किया गया है, उन रूटों पर वैकल्पिक व्यवस्था क्या की गई है? अभी जो स्थानीय लोग हैं वह बहुत परेशानी में हैं, उनकी वैकल्पिक कोई व्यवस्था नहीं है। कम से कम डेढ़ सौ, दो सौ से भी अधिक रूट ऐसे हैं, आप तो जानते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के रूट्स हैं, वहाँ लोगों को बहुत परेशानी है। यह बात सही है कि अभी तक उनकी व्यवस्था नहीं हो सकी । तो माननीय मंत्री जी को यह जानकारी होगी तो बतायेंगे कि वहाँ पर क्या व्यवस्था की होगी, यदि अभी तक व्यवस्था नहीं हुई है तो कब तक व्यवस्था हो सकेगी और किस रूप में होगी?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, आपने जानना चाहा कि चार धाम यात्रा पर जो गाड़ियाँ लगाई गई हैं। इनमें परिवहन निगम की 32 गाड़ियाँ लगाई हैं, ये सभी गाड़ियाँ नई खरीदी गई हैं, जो वहाँ पर संचालित हैं। किसी भी मार्ग की कटौती कर वहाँ कोई गाड़ी नहीं लगाई गई है।

श्री रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

मान्यवर, यात्रा रूट पर केवल उत्तराखण्ड परिवहन निगम की ही बसे नहीं लगाई जाती है, अधिकांश डी0जी0एम0ओ0, जी0एम0ओ0 जितनी भी प्राईवेट बसें है। जी0ए0ओ

की लगभग 60 प्रतिशत बसें सारी की सारी यात्रा मार्ग पर चली जाती हैं। यदि 60 प्रतिशत से भी ज्यादा बसें यात्रा मार्ग पर चली जाती है तो उन स्थानों पर क्या व्यवस्था की गई? यह केवल परिवहन निगम का ही विषय नहीं है।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, यह बात सही है कि यात्रा काल में यह असुविधायें होती हैं क्योंकि बाहर से धार्मिक प्रवृत्ति के लोग चार धाम यात्रा पर आते है। उनकी व्यवस्था करने के लिए कुछ अतिरिक्त व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाता है और कमिश्नर गढ़वाल उसके अध्यक्ष है। इसका संयुक्त रोटेशन बनाया जाता है, रोटेशन पर कितनी गाड़ियों की आवश्यकता होगी, उसी के आधार पर चिन्हित करते हुए उन गाड़ियों का रोटेशन बनाते हैं। कोशिश की जाती है कि लोकल स्तर पर जो गाड़ियों की सर्विसेज हैं वह बहुत ज्यादा प्रभावित न हों। इतना जरूर है कि अगर किसी रूट पर तीन सर्विसेज चल रही हैं तो वहाँ पर दो सर्विसेज में परिवर्तित कर दिया जाता है, जहाँ पाँच सर्विसेज चल रही हैं वहाँ पर पाँच की जगह तीन कर दी जाती हैं। लेकिन कोशिश यह रहती है कि किसी न किसी रूट पर गाड़ियों का संचालन यथावत बना रहे। इसके अतिरिक्त भी हमारे पास जीप हैं, टैक्सीज हैं, मैक्स हैं और बहुत सारे जो हमारे बेरोजगार लोगों द्वारा चलाई जा रही है जिनसे यातायात को सुलभ कराने की दिशा में कोशिश की जाती रही है।

राज्य में एस0सी0/एस0टी0 एवं ओ0बी0सी0 छोत्रों को छात्रतृत्ति उपलब्ध कराने में सरकार की नीति।

*7–श्री मदन कौशिक–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में एस0सी0, एस0टी0 एवं ओ0बी0सी, छात्रों को छात्रवृत्ति देने की नीति क्या है

तथा नीति के अनुसार प्रत्येक कक्षावार क्या समस्त छात्रों को छात्रवृत्ति दी जा रही है?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि सभी पात्र छात्र/छात्राओं को वर्तमान तक छात्रवृत्ति उपलब्ध करा दी गई है?

यदि हाँ, तो कब?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के समस्त छात्र–छात्राओं को पूर्वदशम कक्षाओं (01 से 10) में छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसके अन्तर्गत आयसीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है, किन्तु मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 09

एवं 10 में अध्ययनरत उन्हीं छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिनके अभिभावकों की मासिक आयसीमा रू0 5,000 हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उत्तराखण्ड शासन के आदेश दिनांक 08.09. 2005 के अनुरूप छात्रवृत्ति की दरें निम्नवत् निर्धारित की गई हैं और ये ही दरें वर्तमान में भी लागू हैं–

कक्षा	छात्रवृत्ति
01 से 05 तक	रू0 50
06 से 08 तक	रू0 80
09 से 10 तक	रू0 120

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना शत–प्रतिशत केन्द्र पोषित है और दशमोत्तर कक्षाओं के समस्त विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर किया जाता है। भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.07.2010 से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दिए जाने हेतु अभिभावकों की वार्षिक आयसीमा रूपये 02 लाख निर्धारित करते हुए छात्रवृत्ति की दरों में वृद्धि की गई है और वर्तमान में इन्हीं दरों पर छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है, जो निम्नवत् हैं–

ग्रुप	डे–स्कॉलर	हॉस्टलर
I	रू0 550	रू0 1,200
II	रू0 530	रू0 820
III	रू0 300	रू0 570
IV	रू0 230	रू0 380

शासनादेश दिनांक 04.10.1991 के अनुसार पिछड़ी जाति के पूर्वदशम कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के अभिभावकों की मासिक आयसीमा रू 1,000 निर्धारित की गई है। प्रत्येक विद्यालय में पिछड़े वर्ग के छात्रों को कक्षावार देय छात्रवृत्तियों की संख्या का निर्धारण शासनादेश दिनांक 04.10.1991 द्वारा तथा कक्षावार छात्रवृत्ति की धनराशि का निर्धारण शासनादेश दिनांक 31.08.2005 द्वारा किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है–

कक्षा	छात्र संख्या	छात्रवृत्ति
3 से 5	प्रति कक्षा 01 छात्र	रू0 50
6	02 छात्र	रू0 80
7 से 8	प्रति कक्षा 03 छात्र	रू0 80
9 से 10	समस्त छात्र	रू0 120

पिछड़ी जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना शत–प्रतिशत केन्द्र पोषित है। भारत सरकार के मानकों के अनुसार पिछड़े वर्ग के जिन छात्र–छात्राओं के अभिभावकों की वार्षिक आयसीमा रूपये 01 लाख है, उन समस्त छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। पिछड़ी जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति की दरें निम्नवत् हैं–

ग्रुप	डे–स्कॉलर	हॉस्टलर
A	रू0 350	रू0 750
B	रू0 335	रू0 510
C	रू0 210	रू0 400
D	रू0 160	रू0 260

जी हाँ।

जी हाँ। (पिछड़ा वर्ग को छोड़कर)।

उपरोक्तानुसार

पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति हेतु बजट के अभाव के कारण छात्रवृत्ति वितरण शेष है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, उत्तर पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, मुझे भी तो सवाल का जवाब देना है। मैं भी तो इसी से पढ़ रहा हूँ (घोर व्यवधान) आप इतने में से ही प्रश्न पूछेंगे, बाकी से नहीं पूछेंगे। (हंसी) (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ ग्रुप एक, दो, तीन व चार का क्या अर्थ है? दूसरा बी0टेक0 में जो ओ0बी0सी0 के छात्र पढ़ते हैं, उनको कितनी छात्रवृत्ति दी जाती है? तीसरा क्या वर्तमान में ओ0बी0सी0 की छात्रवृत्ति पूरे प्रदेश में दी जा चुकी है? ओ0बी0सी के छात्र जो बी0टेक0 या डिप्लोमा में पढ़ते हैं उनकी कितनी छात्रवृत्ति वर्तमान में दी जा रही है? क्या सब की छात्रवृत्ति चली गयी है या कितनी शेष है ? (घोर व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, आपने ग्रुप एक, दो तीन एवं चार की बात कही है। (घोर व्यवधान) मैं ग्रुप के बारे में आपको बता दूँ। इसमें जो पोस्ट ग्रेज्युएट बच्चे होते हैं या मेडिकल लाईन

में हैं या इंजीनिरिंग लाईन में हैं या रिसर्च करते हैं। (घोर व्यवधान) इनको स्कॉलरशिप के रूप में 550 रूपये दिये जाते हैं। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आप गलत उत्तर बता रहे हैं। आप दुबारा उत्तर मांग लीजिए या आप पूछ लीजिए। आप तीनों प्रश्नों के उत्तर आराम से बता दें। (व्यवधान) मान्यवर, कितनी छात्रवृत्ति अभी शेष है? यह एक गंभीर विषय है। पूरे प्रदेश में अभी कितने सालों की , कितने छात्रों की छात्रवृत्ति शेष है? (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, मेरे पास सभी प्रश्नों का उत्तर है, यदि आप लोग सुनेंगे तो पहले आप इसको सुन लें। जहाँ तक मैंने प्रश्न का उत्तर पढ़ा था वहाँ तक बता रहा हूँ। जो प्रश्न का उत्तर पढ़ा ही नहीं है उस पर तो आपने सवाल ही नहीं किया है। (व्यवधान) मेरे पास सब कुछ है, पर्ची की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो वह भी एक सपोर्टिंग व्यवस्था है और वह जरूरी भी होता है। (व्यवधान) मैं आपको ग्रुप वाईज बता रहा हूँ, ग्रुप टू में जो बच्चे एल0एल0बी0 में पढ़ते हैं और तीसरे ग्रुप में जो बच्चे बी0ए0 की कक्षाओं में पढ़ते हैं या बी0कॉम0 करते हैं और जो नॉन डिग्रीधारक हैं जैसे पॉलीटैक्निक है या आई0टी0आई वह ग्रुप चार में आते हैं। (कई सदस्यगण के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी तक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। (घोर व्यवधान) मान्यवर, मेरा उत्तर नहीं आया है, मैं यह जानना चाहता हूँ कि बी0टेक0 में ओ0बी0सी0 के छात्रों को कितनी छात्रवृत्ति मिलती है, वर्तमान में कितनी टोटल शेष है और कितनी जिले शेष है? यह पूछा है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि बहुत लिहाज करके माननीय सदस्यगण यहाँ पर बहुत चीजों को ओवरलुक भी कर रहे हैं, ताकि सदन ठीक से चले। मान्यवर, आपके द्वारा जो समय–समय पर निर्देश दिये गये हैं तो निदेश संख्या–34 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि माननीय मंत्रियों को चाहिए कि मूल प्रश्न के प्रत्यक्षतया उठने वाले अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर देने के लिए वह पूर्णतया तैयार होकर सदन में आयें। मान्यवर, मैं कल भी देख रहा था और कहा रहा था कि अनुपूरक बनता ही नहीं है और मैं देख रहा हूँ, बहुत देर से शान्त बैठे थे, लेकिन जिस तरह से यहाँ से प्रश्न किये जा रहे थे अपोजीशन की तरफ से, पर ट्रेजरी बैंच उनको बहुत मजाक में ले रहा है। प्रदेश की सारी जनता देख रही है, सब संदेश जा रहा है, हमारा कर्तव्य

है कि हम प्रश्न पूछें और सरकार का कर्तव्य है कि सही उत्तर दे। मान्यवर, इसमें आपका विनिश्चय आना चाहिए, आप ही के विनिश्चय की एक किताब बनी है जो कि उत्तर प्रदेश से यहाँतक है, इसकी निदेश संख्या–34 की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। यह अच्छी बात नहीं है और संकट है, इसमें आपके निदेशों द्वारा माननीय मंत्रीयों को यहाँ से स्ट्रिक्टली निर्देश जाना चाहिए कि वे ठीक तरीके से प्रश्नों का उत्तर दें ताकि जो हम पूछना चाहते हैं, जो मूल भावना है उस मूल भावना के विषय में पता लग सके। अगर हम पूछेंगे नहीं तो क्या होगा, उत्तर नहीं आयेगा तो हम कहाँ जायेंगे इसके अलावा, इसलिए इसमें आपका संरक्षण चाहिए।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, अभी माननीय सदस्य ने पूछा है कि कितना बैकलॉक है, कितने लोगों को नहीं मिल पाया है, तो इसमें मैं टोटल बताना चाहता हूँ कि इस समय जो बैकलॉक है वह 66 करोड़ रूपये का है जिसका भुगतान नहीं हो पाया है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, बी0टेक0 में ओ0बी0सी0 के छात्रों को एक वर्ष में कितने हजार रूपये दिये जाते हैं?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, यह अलग–अलग हैं और यह परिवर्तित भी होती रहती है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, परिवर्तित कभी नहीं होती है, इसको भारत सरकार देती है। माननीय अध्यक्ष जी, कल माननीय मंत्री जी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि विद्यालय की फीस 50 हजार है और इसकी ट्यूशन फीस का भुगतान ओ0बी0सी0 के छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में किया जाता है और ये दोबारा माननीय मंत्री जी जानकारी प्राप्त कर लें कि यह 62 हजार का जो आंकड़ा है वह ठीक नहीं है और यह जो 66 करोड़ का बैकलॉक आपने बताया तो इसमें से सबसे ज्यादा किस जनपद में बैकलॉक बैलेंस है और वह कब तक भुगतान हो जायेगा?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, यह चूँकि भारत सरकार द्वारा लम्बित है और इसमें बताया गया है कि इसमें उन्होंने तय किया था और उसके सापेक्ष पिछले कुछ वर्षों में कुछ राज्य सरकार द्वारा वास्तविक जो भुगतान कर दिया गया वह एलोकेशन से ज्यादा कर दिया गया, उनका एलोकेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, 66 करोड़ में किस जनपद का सबसे ज्यादा बैलेंस है?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं बात रहा हूँ कि 66 करोड़ रूपये का जो बैकलॉक है, इसका कारण यह है कि राज्य सरकार ने उसका भुगतान ज्यादा किया और वहाँ से एलोकेशन कम आया। जो वास्तविक था उसके अनुसार केन्द्र सरकार ने दिया, वह यह है कि वर्ष 2008–2009 में 103 करोड़ दिया, वर्ष 2009–2010 में 104 करोड़ दिया, फिर 136 करोड़ दिया और फिर वर्ष 2011.12 में 423 करोड़ दिया और आपने पूछा कि सबसे ज्यादा कहाँ का बैकलॉक है तो स्वाभाविक है कि बहुत अधिक धनत्व वाला हमारा जिला हरिद्वार है, तो 37 करोड़ 29 लाख रूपया वहाँ का बैलेंस है।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह जो बैकलॉक है तो मेरे संज्ञान में निश्चित है कि समाज कल्याण अधिकारी के द्वारा यह नियम है कि पहले वर्ष का पहले पूरा करेंगे, फिर सेकेण्ड वर्ष में आयेंगे। मान्यवर, लेकिन इसमें पिछले वर्ष का छोड़कर अगले वर्ष का भी दे दिया गया है। मान्यवर, अनेक ऐसे एस0सी0/एस0टी0 और ओ0बी0सी0 के छात्र है जिनकी हैसियत ही नहीं है कि वे ज्यादा पैसा खर्च करें। उनको मालूम है कि 50 हजार रू0 की स्कॉलरशिप मिलती है, तभी उन्होंने एडमिशन लिया है। एडमिशन लेने के लिए यदि एक साल से या दो साल से या तीन साल से या छः महीने से उनको स्कॉलशिप नहीं दिया जा रहा है तो 66 करोड़ को जो बैक लॉक है तो क्या वे ओ0बी0सी0 के बच्चे स्कूल छोड़ने पर बाध्य नहीं हो जायेंगे। सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है कि वे स्कूल में ही रहे? सरकार की तरफ से इसका उत्तर क्या है, यह कब तक दे देंगे

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, केन्द्र सरकार से लगातार कोशिशें की जा रही हैं। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, उन बच्चों ने केन्द्र सरकार से पूछ कर एडमिशन नहीं लिया था, उन्होंने देखा कि राज्य सरकार के द्वारा इतनी छात्रवृत्ति मिलती है, तब एडमिशन लिया होगा। पता नहीं कितने बच्चे इस समय स्कूल छोड़ने को बैठे होंगे। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि केन्द्र सरकार ने जो एलोकेशन की व्यवस्था की है, वह स्पष्ट रूप से आपको बता दिया गया है। मान्यवर, उन्होंने कहा कि 103 करोड़ का खर्च आप वर्ष 2008–2009 में करेंगे। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

माननीय मंत्री जी, आप कब तक दे देंगे, यह बता दें?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, आप थोड़ा सुन तो लें। मैं उसी पर आ रहा हूँ। मान्यवर, राज्य सरकार ने 200 करोड़ रू0 की जगह 250 करोड़ रू0 खर्च कर दिया, अब इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती। अच्छा होता पेमेंट भी कर देते। मान्यवर, अब यह लाईबिल्टी, चूंकि भारत सरकार के माननीय मंत्री श्री मुकुल वासनिक जी लिखते हैं कि यह जिम्मेदारी हमारी नहीं है, क्योंकि इसका भुगतान आपने अपनी शर्तों के हिसाब से किया है। यह शर्ते हमारी नहीं थी। उनका कहना था कि जो नोशनल एलोकेशल था, उसके आधार पर आपको विद्यार्थियों का चयन करना था, उनको स्कॉलरशिप देनी थी। लेकिन आपने उसके अतिरिक्त किया है तो यह लाईबिल्टी केन्द्र सरकार की नहीं बनती है। मान्यवर, लेकिन इसके बावजूद हमारे मंत्री जी ने और सचिव समाज कल्याण जी ने भारत सरकार के अधिकारियों से अनुरोध किया है कि इस बैकलॉग को समाप्त करते हुए उन बच्चों के भविष्य को देखते हुए उसका भुगतान करने की दिशा में प्रयास करें। इसलिए अभी भी प्रगति जारी है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो आखिरी शब्द में लिखा था कि "इन दि केस ऑफ उत्तराखण्ड ईयर वाइज नोशनल एलोकेशन कनवे टु दि स्टेट एट दि बिगिनिंग आफ दि इयर" यह साफ लिखा हुआ है। एण्ड सेट्रल असिसटेंट एक्चुअली रिलीज्ड ड्यूरिंग 2008–2012 आर0एच0 फॉलो, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये चेप्टर बंद नहीं किया कि हम नहीं देंगे। हम अभी भी आश्वान्वित है कि जो 66 करोड़ रू0 बेलेंस हमारा है, वह हमें मिलेगा और बच्चों को इसका भुगतान कर दिया जायेगा।

श्री नारायण राम आर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पिछड़ी जातियों के लिए जो छात्रवृत्ति की पात्रता मानी गयी है वह मासिक आया मात्र 1 हजार रू0 है, जबकि मनरेगा के अन्तर्गत मजदूरी 100 रू0 प्रतिदिन है और बी0पी0एल0 कार्डधारक को भी यह छात्रवृत्ति पात्रता की श्रेणी में नहीं लाती है और इसी तरह से अनुसूचित जाति के लोगों के मासिक आय की पात्रता पांच हजार रू0 मानी गयी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जिस प्रकार भारत सरकार ने दशमोत्तर कक्षाओं के लिए वार्षिक आय दो लाख रू0, पिछड़ी जाति के लिए 1 लाख रू0 निर्धारित की है, उसी प्रकार से उत्तराखण्ड की सरकार भी छात्रवृत्ति प्राप्त करने की पात्रता के लिए आय सीमा में बढ़ोत्तरी करेगी?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है और व्यवहारिक भी लगता है। कठिनाई जैसे कि आप सभी जानते है सिर्फ वित्त विभाग से हमें फेस करनी पड़ती है, लेकिन हमारी कोशिश होगी जो माननीय सदस्य जी ने भावना व्यक्त की उस पर निशिचत रूप से विचार किया जायेगा, यह मैं सदन के माध्यम से उनको अवगत करना चाहता हूँ।

(श्री अध्यक्ष जी द्वारा प्रश्न संख्या–08 पर श्री मदन कौशिक जी का नाम पुकारे जाने पर, कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान।)

श्री अध्यक्ष–

इस प्रश्न पर बहुत अनुपूरक प्रश्न आ गये हैं। (घोर व्यवधान) किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान न लिया जाय।

प्रदेश में एड्स पीड़ितों की संख्या तथा बढ़ती संख्या को कम करने हेतु सरकार की योजना।

*8–श्री मदन कौशिक–

क्या स्वास्थ्या मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में राज्य निर्माण से अब तक कुल कितने एड्स से पीड़ित मरीज पाये गये हैं तथा इस संख्या में प्रतिवर्ष बढ़ोत्तरी हुई है?

यदि हाँ, तो कितनी ?

क्या सरकार द्वारा एड्स पीड़ितों की बढ़ती संख्या को कम करने हेतु कोई योजना बनाई गई है?

यदि हाँ, तो क्या?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

उत्तराखण्ड राज्य निर्माण से दिनांक 31 मार्च, 2012 तक कुल 1856 एड्स से पीड़ित मरीज पाये गये हैं।

एड्स से पीड़ित मरीजों का प्रतिवर्ष विवरण निम्नवत् है

वर्ष	एड्स से पीड़ित मरीजों की संख्या
2002	सूचना शून्य
2003	,,
2004	,,
2005	,,
2006	50
2007	225
2008	202
2009	317
2010	534
2011	402
2012(माह जनवरी से माह मार्च तक)	126
	1856

उपरोक्तानुसार ।

राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार एवं उनकी सहायता से एड्स पीड़ितों की संख्या को कम करने के लिए विभिन्न योजनायें संचालित की जा रही हैं एड्स पीड़ितों की संख्या को कम करने के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं का विवरण संलग्नक 'क' में उल्लिखित है। †

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, यह एक बहुत ही गंभीर विषय है और इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, इस विषय को लेकर अभी पिछले दिनों हल्द्वानी में एक बहुत बड़ा हंगामा भी हुआ था और हगांमा होने का कारण यह था कि जब राज्य सरकार कोई कायदा कानून बनाती है तो निश्चित रूप से राज्य की वर्तमान स्थिति को देखा जाता है। मान्यवर, जो लिखित उत्तर दिया है, इसके संकग्नक–'क' में लिखा है: ''राज्य सरकार द्वारा एड्स पीड़ितों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए भारत सरकार की सहायता से निम्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं।'' इसके आगे बिन्दु संख्या–2 में लिखा है ''उच्च जोखिम समूहों, जैसे व्यवसायिक यौन कार्यकर्ताओं'' मान्यवर, आपने व्यवसायिक यौन का कानून बना दिया है। क्या आपके राज्य में व्यवसायिक कानून की स्थिति है, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, यहाँ पर कोई नहीं है। संभावनाओं को देखते हुए बनाया है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जब आपके यहाँ कोई है ही नहीं तो आप संभावना किसकी देख रहे हैं? माननीय अध्यक्ष जी, इसी बात को लेकर हंगामा हुआ। आपने व्यवसायिक यौन के सम्बन्ध में कानून बनाया। यह आप ही के उत्तर में लिखा है। आपने इसे कानून का रूप दे दिया है, क्या यह आपके राज्य में लागू है? यदि है तो कब से है?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, आप जानते हैं कि एड्स एक गंभीर बीमारी है। (व्यवधान) उन तमाम संभावनाओं को दूर करने के लिए, जिनसे एड्स की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, उसके लिए व्यवस्थाएं करना सरकार का दायित्व होता है।

---

† (देखिए नत्थी ''क'' आगे पृष्ठ 103–104 पर)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आप खुद अपने उत्तर में व्यवसायिक यौन के बारे में लिख रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ नहीं है। आपने अपने उत्तर में दिया है कि व्यवसायिक यौन को इसकी श्रेणी में लिया गया है। यह राज्य सरकार का है, भारत सरकार का भी नहीं है। आप केवल इतना बता दीजिए कि व्यवसायिक यौन इस समय राज्य में प्रचलित है या नहीं, यदि नहीं है तो कानून बनाने का औचित्य क्या था?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आप पढ़ रहे हैं, भारत सरकार की गाईड लाईन हैं, जिसके आधार पर यह राज्य सरकारों को आदेशित करती है कि आपको यह धन आवंटन किया जाता है कि एच0आई0वी0 पॉजिटिव की जाँच करते हुए एड्स के रोगियों को कम करने की दिशा में जो उन्होंने पूरा का पूरा एक चार्ट दिया है, उसमें यह है। आप इसको दूसरी तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं। इसमें आपने थोड़ा फर्क कर दिया और आपकी कोशिशें रहती हैं कि उसमें आप कुछ न कुछ निकालने का जरिया ढूँढते रहते हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, हम विपक्ष में हैं, हमारा काम ही यही है।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, अच्छी बात है। लेकिन नम्बर उतने नहीं मिलने वाले हैं, जितने की आप अपेक्षा कर रहे हैं। मान्यवर, इसको आप उस दृष्टिकोण से न देखिए, इसमें तो उन तमाम बिन्दुओं पर चर्चा की गयी है कि किन–किन तरीकों से हम जो एच0आई0वी0 पॉजिटिव लोग होते हैं, उनको कंट्रोल करें। एड्स होने तक उनको बचाने का प्रयास करें। यह उसकी एक संक्षिप्त रूपरेखा है, जो आपकी नॉलेज के लिए आप तक पहुंचाई गई है।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर सदन में दिया, मैं उसे पढ़कर सुना रहा हूँ " राज्य सरकार द्वारा एड्स पीड़ितों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिये भारत सरकार की सहायता से निम्न योजनायें संचालित की जा रही है। " यह योजनायें आपने कहा कि राज्य सरकार की हैं, इसे लेकर वहाँ कितनी मारपीट हुई, कितना हंगामा हुआ, यह आप जानते हैं। यह विषय इस राज्य के लिये बहुत संवेदनशील है, आपने यह नहीं कहा कि यह भारत सरकार का है, आपने स्वयं स्वीकार किया कि यह राज्य सरकार का है और राज्य सरकार का आपने नम्बर दो लिखा कि " व्यवसायिक यौन कार्यकर्ता, सेक्स वर्करों और उनके ग्राहकों" मान्यवर, इस राज्य में जो चीज संचालित नहीं है, यदि

आप उसके लिये इस प्रकार का कोई कायदा–कानून बनाते हैं तो इसके बचाव के लिये इसमें बात की है, मैं तो यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह राज्य में प्रचलित है, यदि नहीं है तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं वही उत्तर फिर से आपके माध्यम से माननीय सदस्य को देना चाहता हूँ। हमारी समझ में यह नहीं आ रहा है कि जिसको यह पढ़ रहे हैं, उसमें कहाँ पर लिखा गया है कि इसको कानून का दर्जा दे दिया गया है। इसमें लिखा गया है कि ''राज्य सरकार की सहायता द्वारा एड्स पीड़ितों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिये भारत सरकार की सहायता से निम्न योजनायें संचालित की जा रही हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है–'' इसमें जितनी भी बातें लिखी गई हैं, यह जरूरी नहीं है कि यह आपके राज्य में व्याप्त हों (व्यवधान) मान्यवर, आप बात समझने का तो प्रयास करें, जो 32 एन0जी0ओ0 डिक्लेयर किये गये हैं, जिनको इस कार्य को सौंपा गया है, उन्होंने अपना एक प्रारूप तैयार किया है कि हम किस प्रकार से अपनी योजनाओं को संचालित करने का प्रयास राज्य सरकार के अन्तर्गत करेंगे। उन्होंने उसकी व्याख्या को यहाँ पर विस्तृत रूप से देने का प्रयास किया है। यह नहीं कहा गया है कि यह यहाँ पर है ही। उन्होंने इसे अपने दिशा निर्देशन के लिये तैयार किया है। इस प्रश्न में जो पहले फेज का है, जिसमें संलग्नक ''क'' लगा है कि किन–किन विषयों पर, किन–किन तथ्यों के आधार पर, किन–किन बातों के आधार पर इस संक्रमित रोग को रोकने का प्रयास किया जायेगा, तो उन्होंने उसके लिये इस शब्द को अपनी गाईड लाईन में लिख दिया, तो इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि यह यहाँ पर भी है।

(माननीय अध्यक्ष द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या–9 पुकारे जाने पर)

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, इसी से संबधित एक प्रश्न है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह तो अन्याय हो गया, इसमें एक भी अनुपूरक नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय कौशिक जी, आपने 6 अनुपूरक पूछ लिये हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैंने एक ही अनुपूरक पूछा, लेकिन उसी को बार–बार पूछा है।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि एड्स के विषय में बहुत सी योजनायें भारत सरकार के माध्यम से संचालित हैं और इसके लिये फंडिंग सरकार करती है। तो केन्द्र सरकार ने पिछले दिनों में कितना फंड राज्य सरकार को इन योजनाओं में दिया है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि 1856 मरीज इस प्रदेश में पाये गये हैं मो मैं यह कहना चाहता हूँ कि 1856 तो पॉजीटिव पाये गये, लेकिन परीक्षण तो आपने औरों का भी किया होगा, तभी तो आप उसमें यह कह रह है कि आपने कितने लोगों का परीक्षण किया है।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, परीक्षण कराने वालों की संख्या को किस प्रकार से आधार बनाया जा सकता है। हमने अभी बताया कि 1856 लोग एच0आई0वी0 पॉजीटिव पाये गये और जो आई0सी0टी0सी0 (व्यवधान) मान्यवर, मेरा पूरा उत्तर सुन लें, आपको इतनी जल्दी क्यों है। जो हमारे परीक्षण के आई0सी0टी0सी0 केन्द्र हैं, जहाँ पर ब्लड लिया जाता है, (व्यवधान) वहाँ पर 1856 लोगों को पॉजीटिव पाया गया।

मान्यवर, एच0आई0वी0 पीड़ित जो मैंने पहले भी आपको बताया। उसके लिए हजारों की संख्या में लोग जाते हैं। अवेयरनेस कार्यक्रम के रूप में इसको बढ़ाया जा रहा है। हर आदमी चाहता है कि अपना ब्लड टेस्ट करवा ले। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न काल समाप्त।

परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों की संख्या तथा घाटे को कम करने के लिए सरकार की योजना

*9–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में रोडवेज की कुल कितनी बसे संचालित की जा रही हैं? उनमें से कितनी बसें घाटे में चलाई जा रही हैं और उनके घाटे में चलने के क्या कारण हैं? क्या सरकार ने घाटे को कम करने के लिए कोई योजना बनाई हैं? यदि हाँ, तो क्या यदि नहीं, तो क्यों?

सुरेन्द्र राकेश–

प्रदेश में उत्तराखण्ड परिवहन निगम की कुल 1141 निगम बसें एवं 32 अनुबन्धित कुल 1173 बसें संचालित की जा रही है।

456 बसें घाटे में चल रही हैं।

नोटः तारांकित प्रश्न संख्या 08 के उपरान्त प्रश्न काल समाप्त हुआ।

पर्वतीय मार्गों पर जनसंख्या घनत्व कम होने के कारण यात्रियों की उपलब्धता कम होना, पर्वतीय मार्गों पर संचालन लागत मैदानी मार्गों की तुलना में अधिक होता है जैसे कि डीजल पर अधिक व्यय, स्पेयर पार्ट्स, टायर, चालक/परिचालक पर अधिक व्यय होता है तथा दूर दराज के कतिपय मार्गों में लोड फैक्टर कम होना।

जी हाँ।

सरकार द्वारा निगम की आय बढ़ाने, निगम को घाटे से उबारने हेतु अन्य राज्यों के मुनाफे में चल रहे निगमों की संचालन प्रक्रिया एवं कार्य योजना का अध्ययन आदि करने हेतु मा0 मंत्रिमण्डल की उप समिति के गठन के आदेश दिये गये हैं। उक्त समिति द्वारा दिये गये सुझावों के अनुरूप अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत सल्ट में गौरादेवी कन्याधन योजना के वर्ष 2009 से 2012 तक स्वीकृत/अस्वीकृत प्रार्थना पत्रों का विवरण

*10–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के सल्ट विधान सभा क्षेत्र से गौरादेवी कन्याधन योजना के वर्ष 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 में कुल कितने–कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए तथा उनमें से कितने प्रार्थना पत्र स्वीकार हुए हैं?

क्या सरकार तत्संबंधित विवरण सदन के पटल पर रखेगी?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि कुछ प्रार्थना पत्र अस्वीकृत होने के क्या–क्या कारण थे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जनपद–अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र–सल्ट के अन्तर्गत वर्ष 2009–10, वर्ष 2010–11 एवं वर्ष 2011–12 में गौरादेवी कन्याधन योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन–पत्र, भुगतान हेतु लम्बित आवेदन–पत्र, अस्वीकृत आवेदन–पत्रों का वर्षवार विवरण निम्नवत् है।

वर्ष	प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	भुगतान हेतु लम्बित आवेदन–पत्र	अस्वीकृत आवेदन–पत्र
2009–10	379	303	36	40
2010–11	598	525	45	28
2011–12	490	254	236	00
योग	1,467	1,082	317	68

उपरोक्तानुसार।

वर्ष 2009–10, वर्ष 2010–11 तथा वर्ष 2011–12 में कुल प्राप्त 1,467 आवेदन पत्रों के सापेक्ष मात्र 68 आवेदन पत्र अस्वीकृत हुए। अस्वीकृत आवेदन–पत्र पात्रता की श्रेणी में न आने वाले आवेदकों के हैं, जो बी.पी.एल. अथवा आयसीमा की श्रेणी में नहीं आते हैं एवं अन्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते हैं।

जनपद देहरादून अन्तर्गत शहर मसूरी स्थित सेंट मेरी चिकित्सालय में अल्ट्रासाउण्ड मशीन स्पेशालिस्ट की तैनाती

*11–श्री गणेश जोशी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत है कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत मसूरी शहर में अवस्थित सेंट मेरी चिकित्सालय में लाखों की लागत से अन्ट्रासाउण्ड मशीन स्थापित की गयी है?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी यह भी अवगत हैं कि अन्ट्रासाउण्ड मशीन का चिकित्सालय में आज तक ऑपरेटर तैनात नहीं किया गया है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार चिकित्सालय में अन्ट्रासाउण्ड मशीन स्पेशलिस्ट की तैनाती पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हाँ।

संयुक्त चिकित्सालय प्रेमनगर, देहरादून में कार्यरत रेडियोलॉजिस्ट द्वारा सप्ताह में एक दिन विजिट के आधार पर मशीन संचालित की जा रही है। नियमित रेडियोलॉजिस्ट उपलब्ध नहीं है।

विशेषज्ञ चिकित्सकों के 583 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है, जिसमें से रेडियोलॉजिस्ट के 78 पदों हेतु भर्ती की जानी है। महानिदेशालय स्तर पर भी प्रत्येक मंगलवार को वॉक–इन–इन्टरव्यू के माध्यम से संविदा आधार पर सामान्य/विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

राज्य सरकार के शासनादेश अन्तर्गत किच्छा चीनी मिल में 10 वर्ष से कार्यरत दैनिक वेतन भोगो कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति विषयक

1—श्री राजेश शुक्ला—

क्या गन्ना मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेश के अन्तर्गत किच्छा चीनी मिल में विगत 10 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को भी सरकार स्थाई नियुक्ति देने पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में ऐसी व्यवस्था नहीं है।

राज्य योजना में एस0सी0पी0 एवं ओ0एस0पी0 में धन आंवटन के मानक व सरकार द्वारा परिव्यय की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में

2—श्री चन्दन राम दास—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य योजना में एस0सी0पी0 एवं ओ0एस0पी0 में धन आवंटन का क्या मानक है?

मानक के आधार पर परिव्यय की धनराशि विगत वर्ष 2010—11, 2011—12 में क्या है?

क्या सरकार द्वारा परिव्यय की धनराशि अवमुक्त की गई है?

यदि हाँ, तो कितने प्रतिशत की गई?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र राकेश—

राज्य के कुल योजना परिव्यय के सापेक्ष राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में एस0सी0एस0पी0 एवं टी0एस0पी0 का परिव्यय निर्धारित किया जाता है, जो कि वर्तमान में क्रमशः 18 प्रतिशत एवं 3 प्रतिशत है।

वित्तीय वर्ष 2010—11 एवं 2011—12 में परिव्यय का विवरण निम्नवत् है:

(धनराशि ` लाख में)

वित्तीय वर्ष	राज्य का कुल परिव्यय	राज्य के कुल परिव्यय में से	
		एस0सी0एस पी0	टी0एस0 पी0
2010—11	6800.00	1226.25	215.81
2011—12	7800.00	1404.00	234.00

जी हाँ।

परिव्यय के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि के प्रतिशत का वर्षवार विवरण निम्नवत् हे:

वित्तीय वर्ष	एस.सी.एस.पी.	टी.एस.पी.
2010—11	42.68 %	62.64 %
2011—12	38.79 %	55.15 %

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद नेनिताल अन्तर्गत रामगढ़ एवं धारी में साईन्स टेक्नोलोजी इन्स्टीट्यूट की स्थापना पर विच्चार

3—श्री दान सिंह भण्डारी—

क्या विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनिताल के अन्तर्गत विकास खण्ड रामगढ़ एवं धारी में एक साईन्स टैक्नोलौजी इन्स्टीटृयूट की स्थापना किये जाने पर क्या सरकार विचार करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी—

वर्तमान में जनपद नैनीताल के विकास खण्ड रामगढ़ एवं धारी क्षेत्रान्तर्गत साईन्स टैक्नोलोजी इन्स्टीट्यूट की स्थापना का प्रस्ताव नहीं है।

प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति की छावत्रवृत्ति बढ़ाये जाने का विचार।

4—श्री दान सिंह भण्डारी—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की छात्रवृत्ति बढ़ाये जाने हेतु क्या सरकार विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी नहीं।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना शत–प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना है और दशमोत्तर कक्षाओं के विधार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर ही किया जाता है। भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.07.2010 से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत विधार्थियों की छात्रवृत्ति की दरों में वृद्वि की गई है और इन्हीं दरों पर वर्तमान में छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है, जो निम्नच्त है–

ग्रप	डे–स्कॉन	हॉस्टलर
I	` 550	` 1,200
II	` 530	` 820
III	` 300	` 570
IV	` 230	` 380

अनुसूचित जाति तथा अनूसूचित जनजाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उत्तराखण्ड शासन के आदेश दिनांक 08.09.2005 के अनुरूप छात्रवृत्ति की दरें निम्नवत् निर्धारित की गई हैं और ये ही वर्तमान में भी लागू हैं–

कक्षा	छात्रवृत्ति
01 से 05 तक	` 50
06 से 08 तक	` 80
09 से 10 तक	` 120

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों का किराया अधिक होने पर सरकार की योजना

5–श्री मदन कौशिक–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड़ राज्य में उत्तर प्रदेश पथ परिवहन निगम की बसों का किराया, उत्तराखण्ड राज्य की परिवहन निगम की बसों के किराये से अधिक हैं?

यदि हाँ,तो क्या सरकार द्वारा उक्त विषय पर कोई योजना बनाई गई है ?

यदि हाँ, तो क्यो ?

यदि नहीं, तो क्यो ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोडा़ में देघाट से चंडीगढ़ वाया देहरादून नियमित रूप से बस सेवा चलाने पर सरकार का विचार

6–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या परिवहन मंत्री अवगत हें कि जनपद अल्मोड़ा में देघाट से देहरादून बस का अनियमित संचालन परिवहन निगम द्वारा किया जा रहा हे ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त बस सेवा को देघात से चंडीगढ़ वाया देहरादून, पांवटा, कालाआम्बा नियमित रूप से चलाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

जी नहीं।

सम्प्रति प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हें।

प्रश्न नहीं उठता।

सम्प्रति प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हे।

जनपद हरिद्वार अन्तर्गत बी0एच0ई0एल0 रानीपुर क्षेत्र में बेरियर–6 से मुख्य चिकित्साल्य तक बस सेवा चलाये जाने पर सरकार का विचार

श्री आदेश चौहान–

क्या परिवहन मंत्रि अवगत हें कि जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत बी0एच0ई0एल0 रानीपुर क्षेत्र विधान सभा के ग्राम रावली महदूद ब्रहमपुरी, ओद्योगिक क्षेत्र बहादराबाद तथा शिवालिक नगर की जनता बेरियर नं0 6 से मुख्य चिकत्सालय तक लोकल बस सेवा चलाये जाने की मांग कर रही हे ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थानों के मध्य लोकल बस सेवा चलाये जाने पर विचार कर रही हे ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

8–श्री सरवत करीम अंसारी–

तृतीय सोमवार के अतारांकित 22 में स्थानान्तरित।

वृद्वावस्था, विकलांग व विधवा पेंशन की पूर्व निर्धारित न्यूनतम आय की सीमा बढ़ाने पर सरकार का विचार

9–श्री अरविन्द पाण्डेय–

क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि वृद्वावस्था पेंशन, विधवा पेंशन विकलांग पेंशन हेतु आय प्रमाण की बाध्यता है ?

यदि हाँ, तो उक्त पेंशनों हेतु आय की सीमा क्या है ?

क्या सरकार पूर्व निर्धारित न्यूनतम आय की सीमा बढ़ाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हाँ,

किन्तु बी0पी0एल0 श्रेणी के लाभार्थियों के लिये आय प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं है।

उक्त पेंशन हेतु मासिक आय रू0 1000/– तक प्रतिमाह निर्धारित की गई है।

औचित्यपूर्ण प्रस्ताव आने पर परीक्षण किया जायेगी।

प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त।

प्रश्न नहीं उठता।

10—श्री दान सिंह भण्डारी—

तृतीय सोमवार के अतारांकित 24 में स्थानान्तरित।

जनपद नैनीताल के तहसील धारी में उपकोषागार खुलवाने हेतु सरकार की योजना

11—श्री दान सिंह भण्ड़ारी—

क्या वित्त मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार जनपद नैनिताल के तहसील धारी में उप कोषागार खुलवाये जाने हेतु कोई कदम उठायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

प्रकरण विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद देहरादून अन्तर्गत मसूरी में सेंट मेरी चिकित्सालय कुलड़ी व सिविल चिकित्सालय लण्ढौर में चिकित्सकों एवं कर्मचारियों के सृजित पदों के सापेक्ष तैनाती पर सरकार का विचार

12—श्री गणेश जोशी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत मसूरी शहर में अवस्थित सेंट मेरी चिकित्सालय कुलड़ी एवं सिविल चिकित्सालय लण्ढौर में चिकित्सकों एवं कर्मचारियों के कितने—कितने पद सृजित हैं?

क्या सरकार उपरोक्त चिकित्सालयों में मानकों के अनुरूप चिकित्सकों एवं कर्मचारियों की तैनाती पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी—

सेंट मेरी चिकित्सालय मसूरी में चिकित्सकों के 13 एवं कर्मचारियों के 35 पद तथा सिविल चिकित्सालय लण्ढौर में चिकित्सकों के 09 पद एवं कर्मचारियों के 18 पद सृजित हैं।

विशेषज्ञ चिकित्सकों के 583 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है एवं चिकित्सकों की संविदा पर नियुक्ति हेतु प्रत्येक मंगलवार को वॉक–इन –इन्टरव्यू का आयोजन किया जाता है। पैरामेडिकल कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने हेतु अधियाचन प्राविधिक शिक्षा परिषद रूड़की को भेजा गया है।

उपरोक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चम्पावत स्थित टनकपुर क्षेत्र में स्वीकृत ट्रामा सेन्टर का निर्माण कार्य का पुनः प्रारम्भ

13–श्री हेमेश खर्कवाल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चम्पावत में स्थित टनकपुर में पूर्ववर्ती शासनकाल में स्वीकृत ट्रामा सेन्टर का निर्माण कार्य बन्द पड़ा है?

यदि हाँ, तो कब तक निर्माण कार्य पुनः प्रारम्भ किया जायेगा?"

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हाँ।

यह वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

जनपद चम्पावत स्थित टनकपुर बस अड्डे को टनकपुर रोडवेज कार्यशाला में स्थानान्तरण का लम्बित प्रस्ताव

14–श्री हेमेश खर्कवाल–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चम्पावत में स्थित टनकपुर रोडवेज बस अड्डे को टनकपुर रोडवेज कार्यशाला में स्थानान्तरित किए जाने का प्रस्ताव शासन स्तर पर लम्बित हैं ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

जी हाँ।

लोक निजी सहभागिता के आधार पर प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में उर्दू भाषा को द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा देने के सम्बन्ध में सरकार का विचार

15–श्री सखत करीम अंसारी–

क्या भाषा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में उर्दू भाषा को द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा देने पर राज्य सरकार विचार कर रही हैं ?

यदि हाँ, तो कब तक उर्दू को द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा मिल जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यो ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

वर्ष 2009 से 2012 तक जनपद अल्मोड़ा में अनुसूचित जाति/ जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग को प्रदान की गई छात्रवृत्ति का विधान सभा वार विवरण व आवेदनों के कारण

16–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 में जनपद अल्मोड़ा में विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के कुल कितने छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गयी तथा उनका विधान वार विवरण क्या हैं

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि कुल प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष कितने आवेदन स्वीकृत हुए थे तथा अस्वीकृत होने वाले आवेदनों के क्या कारण थे?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जनपद अल्मोड़ा में वित्तीय वर्ष 2009–10, वर्ष 2010–11 तथा वर्ष 2011–12 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के कुल 1,41,409 छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गयी। विधानसभा वार विवरण संलग्न हैं। †

छात्रवृत्ति स्वीकृति का अधिकार सम्बन्धित विद्यालयों/संस्थाओं के प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक में निहित हैं। विधालयों से प्राप्त मांग के अनुरूप ही छात्रवृत्ति प्रेषित की जाती है। विधालयों से प्राप्त सूचियों के छात्रवृत्ति वितरण हेतु सम्बन्धित संस्थाओं/ विधालयों को प्रेषित कर दी गई है। जनपद में कोई भी पात्र छात्र–छात्रा छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित नहीं हैं।

जनपद चम्पावत में खेल स्टेडियम बनाये जाने के सम्बन्ध में

17–श्री हेमेश खर्कवाल–

क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चम्पावत में खेल स्टेडियम बनाये जाने की योजना प्रस्तावित हैं?

---

† (देखिऐ नत्थी ''ख'' आगे पृष्ठ 105 पर)

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं,तो क्यों?

श्री दिनेश अग्रवाल–

जी हाँ।

जनपद चम्पावत के लोहाघाट क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सुई के छमनियां चौड़ में खेल स्टेडियम का निर्माण किये जाने हेतु वन विभाग से भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही गतिमान है। उक्त भूमि खेल विभाग को हस्तान्तरित होने के उपरान्त ही इस पर खेल स्टेडियम का निर्माण कार्य सम्भव हो पायेगा।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद देहरादून अन्तर्गत मसूरी सविल हॉस्पिटल का निर्माण कार्य धीमी गति से होने के कारण तथा निर्माण की समय सीमा।

18–श्री गणेश जोशी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत मसूरी सिविल हॉस्पिटल का निर्माण कार्य धीमी गति से क्यों चल रहा हैं?

क्या स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था को हॉस्पिटल के निर्माण की समय सीमा निर्धारित की गयी हैं?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं,तो क्यों?"

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

सिविल हॉस्पिटल का निर्माण कार्य सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मसूरी के पुराने भवनों को ध्वस्त कर किया जाना था। चिकित्सालय द्वारा दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की भी निरन्तरता रखी जानी थी। अस्पताल को अन्यत्र शिफ्ट करने के लिए भवन की उपलब्धता होने में देरी हुई। अतः आवासीय भवनों के निर्माण के पश्चात कुछ चिकित्सा सुविधायें आवासीय भवनों से तथा कुछ सुविधायें सैंट मैरी चिकित्सालय से प्रदान की जा रही हैं। निर्माण कार्य हेतु ध्वस्तीकरण के उपरान्त भूमि 30 दिसम्बर 2011 को उपलब्ध हो पायी। वर्तमान में निर्माण कार्य की प्रगति संतोषजनक है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/XXVII(7)2008 दिनांक 15.12.2008 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर कार्यदायी संस्था के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया जाना था, जो नहीं किया गया। इस बिन्दु पर जांच के आदेश दिये गये हैं।

पूर्व सरकार द्वारा राज्य में जाति प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में गठित कौशिक समिति की संस्तुति को लागू करने पर सरकार का विचार

19–श्री सरवत करीम अंसारी एवं श्री मदन कौशिक–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में जाति प्रमाण–पत्र के संबंध में पूर्व सरकार द्वारा गठित कौशिक समिति की संस्तुति सदन के पटल पर रखी जा चुकी है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उसे लागू करने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हाँ।

कौशिक समिति की संस्तुतियों का परीक्षण किया जा रहा है, परीक्षणोपरान्त यथोचित निर्णय लिया जाएगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हरिद्वार स्थित विधान सभा क्षेत्र मंगलौर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कार्यरत डाक्टरों की संख्या तथा रिक्त पदों को भरने पर सरकार का विचार

20–श्री सरवत करीम अंसारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मंगलौर, हरिद्वार में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं और उनमें कार्यरत डाक्टरों की संख्या कितनी है? क्या रिक्त पदों को भरने पर सरकार विचार करेगी?

क्या रिक्त पदों पर भरने पर सरकार विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

विधान सभा क्षेत्र मंगलौर (हरिद्वार) के अन्तर्गत केवल एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुण्डलाना स्थापित है, जिसममें 01 चिकित्सक (एलोपैथिक) का पद स्वीकृत है, जिसके सापेक्ष वर्तमान में कोई चिकित्सक कार्यरत नहीं है।

विशेषज्ञ चिकित्सकों के 583 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है एवं चिकित्सकों की संविदा पर नियुक्ति हेतु प्रत्येक मंगलवार को वॉक–इन–इन्टरव्यू का आयोजन किया जाता है। तैनाती लोक सेवा आयोग से चयन सूची प्राप्त होने पर निर्भर करेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में निवास करने वाले राय सिख समुदाय को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने पर सरकार का विचार

21–श्री अरविन्द पाण्डे–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में निवास करने वाले राय सिख समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा दिये जाने की मांग लम्बे समय से की जाती रही है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार राय सिख समुदाय को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हाँ।

विधान सभा के दिनांक 24.07.2009 को सम्पन्न उपवेशन में शासकीय संकल्प सदन द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया कि " इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड में निवास करने वाली राय सिख जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किये जाने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश की जाय।"

भारत सरकार के पत्र दिनांक 20.08.2009 द्वारा नृजातीय सर्वेक्षण कराए जाने में असमर्थता व्यक्त की गई है। अतः अन्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से नृजातीय सर्वेक्षण कराए जाने की कार्यवाही की जा रही है।

चूंकि 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद–341(2) के अधीन किसी भी जाति को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित करने का अधिकार भारत की संसद में निहित है, अतः उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति की सूची में 'राय–सिख' को सम्मिलित करने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय भारत सरकार द्वारा ही लिया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चम्पावत में जिला अस्पताल के लोकार्पण व अस्पताल में सुचारू रूप से कार्य संचालन

22–श्री हेमेश खर्कवाल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चम्पावत में जिला अस्पताल का लोकार्पण हो चुका हैं?

यदि हाँ, तो क्या अस्पताल सुचारू रूप से चल रहा है?

यदि नहीं, तो क्यों?"

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हाँ।

जी नहीं।

मानव संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण।

जनपद चम्पावत में रोडवेज बस अड्डे का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

23–श्री हेमेश खर्कवाल–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चम्पावत के मुख्यालय में रोडवेज बस अड्डा का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है ?

यदि हाँ, तो बस स्टैंड कब तक बनकर तैयार होगा ?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

जी हाँ।

समस्त औपचारिकतांए पूर्ण होने के उपरान्त यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी अन्तर्गत नौगांव में शवविच्छेदन केन्द्र की स्थापना

24–श्री माल चन्द–

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत नौगांव दोनों मुख्यालयों उत्तरकाशी व देहरादून से अत्यधिक दूर होने तथा क्षेत्र की भौगोलिक विषमता के कारण क्षेत्रीय जनता को शवविच्छेदन हेतु अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ता है? यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में नौगांव में शवविच्छेदन केन्द्र की स्थापना करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?''

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

नौगांव में शव–विच्छेदन गृह की स्थापना हेतु भवन निर्माण का कार्य पूर्ण कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर दी गयी है। गृह विभाग से अधिसूचना निर्गत की जानी है। अतः शव विच्छेदन केन्द्र की स्थापना विधिवत अधिसूचना निर्गत किये जाने पर निर्भर करेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी अन्तर्गत पुरोला स्वास्थ्य केन्द्र में उच्च कोटि के चिकित्सकों व फार्मासिस्टों की तैनाती

25–श्री माल चन्द–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा पुरोला के अन्तर्गत पुरोला के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उच्च कोटि के अनुभवी चिकित्सकों एवं दूर दराज के क्षेत्रों में फार्मासिस्टों की तैनाती करेंगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हाँ।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुरोला, उत्तरकाशी में वर्तमान में 04 चिकित्सक कार्यरत हैं। प्रदेश के पर्वतीय एवं दूर–दराज क्षेत्रों में 545 चिकित्सक व 1160 फार्मासिस्ट तैनात है।

विशेषज्ञ चिकित्सकों के 583 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है एवं चिकित्सकों की संविदा पर नियुक्ति हेतु प्रत्येक मंगलवार को वॉक–इन–इन्टरव्यू का आयोजन किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर को पिछड़े वर्ग में शामिल किये जाने पर सरकार का विचार

26–श्री विकम सिंह नेगी–

क्या समाज कल्याण मंत्री अवगत हैं कि टिहरी बांध के निर्माण से जनपद टिहरी का विधान सभा क्षेत्र प्रताप नगर अत्यन्त पिछड़ गया है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार प्रताप नगर विधान सभा क्षेत्र को पिछड़े वर्ग में शामिल किये जाने पर विचार करेंगी ?

यदि नहीं, तो क्यो?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी नहीं।

क्षेत्र विशेष को पिछड़ा क्षेत्र/पिछड़ा वर्ग घोषित किये जाने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार के पत्रांक एन.सी.बी.सी./आर.डब्लू/33 विविध–2005 (उत्तरांचल) दिनांक 01.12.2006 के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तराखण्ड द्वारा किसी क्षेत्र विशेष को पिछड़ा वर्ग क्षेत्र/पिछड़ा वर्ग घोषित किये जाने की संस्तुति की जानी सम्भव नहीं हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

नियम–300 के अन्तर्गत सूचनांए

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–300 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री ललित फर्स्वाण, श्री मदन कौशिक, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री प्रेम चन्द अग्रवाल, श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री अजय टम्टा, श्री गणेश जोशी, श्री चन्दन राम दास, श्री हरबन्स कपूर, श्री आदेश चौहान, श्री पूरन सिंह फर्त्याल, श्री राजेश शुक्ला, श्री प्रेम सिंह तथा श्री दान सिंह भण्डारी की कुल 15 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से श्री ललित फर्स्वाण, श्रीमती विजय बड़थ्यवाल, श्री चन्दान राम दास, श्री आदेश चौहान, श्री प्रेम सिंह तथा श्री दान सिंह भण्डारी की सूचनाओं को नियम–300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ, शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, कल भी मैंने आपसे कहा था। (व्यवधान) मान्यवर, यह बहुत गम्भीर विषय मेरे क्षेत्र का है। माननीय अध्यक्ष जी, कल आपने कहा था कि कल आपकी सूचना ले लेंगे। मेरी आपसे विशेष है, गंगा माँ को लेकर यह सूचना हैं। मेरे ऋषिकेश का नहीं, यह पूरे उत्तराखण्ड का विषय है। यह बहुत गम्भीर विषय हैं। लगातार 3–4 दिन से एक सूचना मैं दे रहा हूँ।

जनपद बागेखर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत के0एम0वी0एन0 द्वारा गैस गोदाम एवं पर्यटक आवास गृह खोले जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री ललित फर्स्वाण–

मान्यवर, विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत कुमाऊँ मण्डल विकास निगम, नैनिताल के द्वारा क्षेत्र की समस्याओं के निदान के लिए कपकोट में गैस गोदाम, काण्डा क्षेत्र में गैस गोदाम का निर्माण कार्य पिछले एक साल से बन्द है। इसी प्रकार विभाग के द्वारा कपकोट में पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए पर्यटक आवास गृह की स्थापना की गयी, लेकिन आज दिन तक उक्त योजना का लाभ क्षेत्र की जनता को नही मिल पाया है। मेरे द्वारा विभाग के महाप्रबंधक महोदय से इस संबंध मे कई बार टेलीफोन से वार्ता हो चुकी है।

वर्तमान स्थिति यह है कि उक्त गैस गोदाम एवं पर्यटक आवास गृह जो विभाग के ठेकेदार एवं विभागीय अभियन्ता की लापरवाही के कारण कार्य रूका पड़ा है, को जनहित में कार्य प्रारम्भ किया जाना आवश्यक है।

महोदय क्षेत्र के विकास की दृष्टि से उक्त प्रकरण पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करने की माँग करता हूँ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर अन्तर्गत इण्टर कालेजों में प्रधानाचार्य एवं अध्यापकों की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमति विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के रा0इ0 कालेज गैण्डखाल, रा0इ0 कालेज माण्डई, उ0मा0 विधालय तिलधारखाल, उ0मा0 विद्यालय चौपड़ा, उ0मा0 विद्यालय तल्ला बनास, उ0मा0 विद्यालय रैंस आदि विद्यालयों में प्रधानाचार्य व अन्य अध्यापकों की भारी कमी है। गणित, विज्ञान जैसे विषयों के अध्यापक भी नहीं हैं। जिससे छात्रों के परीक्षा परिणाम बहुत ही खराब रहे हैं और जनता के बीच जनाकोश व्याप्त है। कई बार जनता

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के द्वारा इस समस्या को दूर करने का अनुरोध शासन से किया गया। लेकिन विद्यालयों में अध्यापकों की कमी को दूर करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के तात्कालिक विषय पर सरकार का ध्यानाकर्षित करते हुए प्रबल कार्यवाही की माँग करती हूँ।

जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड गरूड़ में यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए बाईपास बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री चन्दन राम दास–

मान्यवर, वर्तमान में मेरे विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर के विकास खण्ड गरूड़ मे अत्यधिक यातायात होने के कारण बाईपास की नितान्त आवश्यकता हो रही है, जिसके लिये गरूड़ से पाये होते हुये टानीखेत तथा गरूड़–सिल्ली–मटेला–कन्स्यारी मोटर मार्ग का सर्वे कराकर आकलन शासन में लम्बित है। ये दोनों मार्ग बन जाने से जहाँ गरूड़ क्षेत्र की यातायात की व्यवस्था सुचारू होगी, वहीं मुख्य बाजार में टैक्सी स्टैंड पर पड़ने वाला व्यवधान दूर होगा। इस समस्या के समाधान हेतु जनता की माँग पर ये दानों मोटर मागों का स्वीकृत किया जाना जनहितकारी होगा।

अतः महोदय से आग्रह है कि इन मोटर मागों के स्वीकृत किये जाने हेतु सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करेंगे।

जनपद हरिद्वार के ज्वालापुर में जलभराव की समस्या के निदान के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री आदेश चौहान–

मान्यवर,बी0एच0ई0एल0 रानीपुर विधान सभा क्षेत्र के हरिद्वार नगर निगम के अन्तर्गत पड़ने वाले क्षेत्र ज्वालापुर के पीठ बाजार, चौक बाजार, सर्राफा बाजार धीरवाली में बरसाती पानी के निकास की समुचित व्यवस्था नहीं है। गत वर्ष बरसात में उक्त स्थानों पर भारी जल भराव के कारण व्यापारियों व आम नागिरकों का करोड़ों का नुकसान हुआ था। उक्त स्थानों पर आज भी नालियां मलवे से भरी हुई हैं। यदि इन स्थानों पर नालियों व क्षेत्र की सफाई अतिशीघ्र नहीं करायी गयी तो आने वाले बरसात में जल भराव के कारण भारी नुकसान होने की सम्भावना है। इसलिये इस क्षेत्र में बरसात से पूर्व बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था करना नितान्त आवश्यक है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के इस तात्कालिक विषय पर सदन का ध्यानाकर्षित करते हुये कार्यवाही की माँग करता हूँ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद ऊधमसिंह नगर के नानकमत्ता में राजकीय महाविधालय की स्थापना के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रेम सिंह–

मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र नानकमत्ता में राजकीय महाविद्यालय को माँग जनता द्वारा कई वर्षो से की जा रही है। नानकमत्ता से अन्य राजकीय महाविद्यालय 15 से 20 कि0मी0 की दूरी पर है, जिसके कारण गरीब परिवारों के छात्र–छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है, कभी–कभी निर्धन परिवार के विधार्थी उच्च शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। जनता की माँग को देखते हुए नानकमत्ता में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की जाय।

इस अति अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए आग्रह करता हूँ कि नानकमत्ता में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की जाय।

जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के विकास खण्ड धारी में वर्षो उपरान्त भी दोषापानी महाविद्यालय का भवन निर्माण न होने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री दान सिंह भण्डारी–

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र भीमताल के विकास खण्ड धारी के अन्तर्गत दोषापानी में लगभग 5 वर्षो से महाविद्यालय संचालित हो रहा है, जिसकी कक्षाएं पोखराड़ इ0 का0 में संचालित हो रहा है, महाविद्यालय के पास भवन निर्माण हेतु पर्याप्त भूमि भी उपलब्ध है, उसके उपरान्त भी महाविद्यालय भवन का निर्माण न होने से क्षेत्रीय जनता में भारी आकोश व्याप्त हो रहा है तथा लोग आन्दोलित हो रहे हैं।

अतः इस अति अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर सरकार का ध्यानाकर्षण करते हुए माँग करता हूँ कि दोषापानी में महाविद्यालय भवन का शीघ्र निर्माण करायें।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–25 के अन्तर्गत सूचना आयोग का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008–09 (ए0टी0आर0 सहित)

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–25 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सूचना आयोग का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008–09 (ए0टी0आर0 सहित) सदन के पटल पर रखती हूँ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–58 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री बंशीधर भगत, श्री दलीप सिंह रावत, श्री मदन कौशिक, श्री संजय गुप्ता, श्री प्रेम चन्द अग्रवाल, श्री चन्दन राम दास, श्री हरबन्स कपूर तथा श्री आदेश चौहान की कुल 08 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से श्री बंशीधर भगत, श्री संजय गुप्ता तथा श्री हरबन्स कपूर की सूचनाओं को ग्राह्यता पर सुन लूँगा। शेष सूचनायें अस्वीकार हुई।

(घोर व्यवधान के मध्य)

नियम–310 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं के विषयों पर चर्चा करायें जाने की मांग

श्री अध्यक्ष–

इसके अतिरिक्त नियम–310 के अन्तर्गत श्री मदन कौशिक, श्री पूरन सिंह फर्त्याल, श्री अजय भट्ट, श्री मदन कौशिक, श्री तीरथ सिंह आदि कई सदस्यों की सूचना है। इसमें से श्री पूरन सिंह फर्त्याल की सूचना को नियम–58 में ग्रहयता के लिए स्वीकार कर रहा हाँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

*नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, एक माननीय विधायक का मामला है, उस पर धारा–302 का मुकदमा दर्ज हो गया है। मान्यवर, यह नियम–310 का मामला है। यह दो अक्टूबर की घटना है और सात महीने के बाद माननीय विधायक के खिलाफ रूद्रपुर के दंगों में जिस विधायक ने एस0डी0एम0 को बचाया और जिस विधायक ने पुलिस को बचाया और लोगों को मरने से बचाया, उस विधायक के खिलाफ सात महीने के बाद आफ्टर थॉट एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी है और झूठे एफीडेविट दिये गये हैं। मान्यवर, इससे महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता है। इस सदन के तीन–तीन विधायकों पर ऐसा हुआ है।(कई माननीय सदस्यगण अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी –अपनी बात कहने लगे, जिससे घोर व्यवधान हुआ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

नियम–58 में ग्राह्यता पर सुन लूँगा। यदि कोई भी माननीय सदस्यगण बिना मेरी अनुमति के बोलता है तो उसकी किसी भी बात संज्ञान न लिया जाय। (माननीय नेता

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण''वेल''में आ गये, जिससे घोर व्यवसाय हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

मैं अब सदन का स्थगन 1:00 बजे तक के लिए करता हूँ।

(सदन की कार्यवाही 1:00 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े रहे।)

*श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विधायक पर जो मुकदमा दर्ज हुआ है वह सात महीने बाद हुआ और मान्यवर, कोई भी माननीय सदस्य इस सदन में आयेगा तो निश्चित रूप से उसके मन की इच्छा होगी कि यह सदन उसका संरक्षण करें।

श्री अध्यक्ष–

उनकी नियम–310 की सूचना नियम–58 में ग्राह्य कर ली गई है और उस पर चर्चा हो जायेगी।

*श्री राजकुमार ठुकराल–

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे न्याय चाहिए।

(भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आपने नियमों के आधार पर कोई चीज दी है तो यह नियम–58 में ग्राहय हो गया है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री तीरथ सिंह–

मान्यवर, उस घटना में जो लोग थे वे सजा भुगत रहे हैं, उनपर मुकदमा चल रहा है, उनपर कार्यवाही हो रही है, सी0बी0सी0आई0डी0 जाँच हुई है, लेकिन 7 महीने के बाद माननीय विधायक पर धारा 302 का मुकदमा चला, यह राजनीति की द्वेषपूर्ण भावना से चलाया जा रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

किसी भी सदस्य की बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।

मैं सदन को 3:00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

(सदन की कार्यवाही 3 बजे श्री अध्यक्ष के सभापति में पुनः आरम्भ हुई।)

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपन–अपने स्थान पर खड़े हो गये और एक साथ अपनी–अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें। (घोर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम–310 में हमने एक सूचना दी थी। माननीय विधायक श्री राज कुमार ठुकराल पर सात महीने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है तो निश्चित रूप से आज भी माननीय विधायक की जान को खतरा है। हम चाहते हैं कि सरकार की तरफ से कम से कम कोई पक्ष तो आये कि हम मुकदमा वापस ले रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं। मान्यवर, इसी तरह से माननीय शुक्ला जी की स्थिति भी पता नहीं कितने दिनों के बाद, उनके पूरे परिवार पर मुकदमा दर्ज हो गया है।

श्री अध्यक्ष–

नियम–310 की सूचना को नियम–58 में ग्राह्य कर लिया गया है। (घोर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आप तो हमारे संरक्षक हैं। सवाल यह नहीं है, सवाल माननीय विधायक की सुरक्षा का है। माननीय विधायक पर सात महीने बाद मुकदमा दर्ज हुआ है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री राज कुमार ठुकराल–

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे न्याय चाहिए। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्य ''वेल'' में आ गये और एक साथ अपनी–अपनी बात कहने लगे।

श्री तीरथ सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, जो उस घटना की जाँच हुई है, उसमें दोषियों को दण्डित किया गया है, सी0बी0सी0आई0डी0 की जाँच हुई है। मान्यवर, सात महीने के बाद ऐसा

क्या हो गया कि जिसमें माननीय विधायक को धारा–302 के अन्तर्गत फंसना पड़ा। यह राजनीतिक द्वेषभावना से हुआ है। (भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्य नारेबाजी करने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपने–अपने स्थानों पर बैठें।

श्री राज कुमार ठुकरालः–

माननीय अध्यक्ष जी, हमें न्याय दीजिये।(घोर व्यवधान)

श्री तीरथ सिंह–

मान्यवर, इसमें हमारा कहना है कि इसमें न्याय किया जाय। (कई माननीय सदस्यों के एक बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपकी मद आ रही है। आपकी सूचना को पहले ही नियम–58 में ग्राह्य कर लिया गया है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री तीरथ सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, कल किसी के भी साथ यह घटना हो सकती है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री राज कुमार ठुकराल–

माननीय अध्यक्ष जी, दो अक्टूबर की घटना को लेकर, जो समाचार पत्रों में छपा है, उस समाचार पत्र को आप पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि मेरी जान को खतरा है। उसमें लिख है कि राज कुमार ठुकराल ने अमुक व्यक्ति को मेरे सामने गोली मार दी। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

पीठ से यह व्यवस्था आ चुकी है कि नियम–310 के प्रश्न को नियम–58 में ग्राह्य कर लिया है। उस समय सरकार की ओर से जवाब आयेगा। कई माननीय विधायकों के एक साथ कहने पर घोर व्यवधान।)

संसदीय कार्य मंत्री(श्रीमती इन्दिरा हृदयेश):–

मान्यवर, एजेण्डे के समय आने दें। (व्यवधान)

श्री तीरथ सिंह–

मान्यवर, पहले इसको ले लें। (घोर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, हम तो सरकार का जवाब चाहते हैं, सरकार कुछ कहना चाहती है तो हम सुन लेंगे। (कई माननीय विधायकों के एक साथ कहने पर घोर व्यवधान।)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य वापस अपने–अपने स्थानों पर चले गये।)

*श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, एक साल बाद मेरे ऊपर लगा दिया गया है। राज कुमार ठुकराल पर सात महीने बाद लगा दिया गया है। मान्यवर, पूरे परिवार को संगीन धाराओं में बंद किया जा रहा है। मान्यवर, हम लोग अपराधी नहीं है। हमारे ऊपर जिंदगी में गालीगलौज का मुकदमा कायम नहीं हुआ है। (कई माननीय विधायकों के एक साथ कहने पर घोर व्यवधान।)?

श्री अध्यक्ष–

कार्य–स्थगन जब आयेगा उस समय ले लिया जायेगा। कृपया बैठ जाय।

उत्तराखण्ड विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण(संशोधन)विधेयक,2012

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन)विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करती हूँ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या–9 पुकारे जाने पर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं(कमागत)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इस पर आपका विनिश्चय आ जाए। हम तो सरकार का जवाब चाहते हैं। मान्यवर संसदीय कार्य मंत्री यहाँ पर हैं। माननीय विधायकों का सवाल है, विधायक चाहे ठुकराल जी हों, चाहे शुक्ला जी बैठे हैं, चाहे प्रेम चंन्द अग्रवाल जी हैं।

श्री अध्यक्ष–

पहले नियम–58 आ जाने दीजिए।

श्री मदन कौशिकः–

मान्यवर, पहले नियम –310 की सूचना पर सरकार का जवाब आ जाए कि सरकार क्या कहती है। आज विधायक अपने क्षेत्र में जा नहीं सकते। अपने क्षेत्र की सीमा पर पैर रखने से पहले अपने 50 कार्यकर्ताओं को बुलाएंगे, उनके बीच में इकट्ठे होकर अपने क्षेत्र में घुसेंगे। कब तक चलेगा यह ? एक विधायक अपने क्षेत्र में अपनी जनता के बीच नहीं जा सकता।

श्री अध्यक्ष–

माननीय कौशिक जी, आपने नियम–58 में जो सूचना दी है, उस पर बोलिए।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो बोलूँगा ही। मैं तो सरकार का जवाब जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, नियम–310 की सूचना को नियम–58 में माननीय स्पीकर साहब ने स्वीकार किया है। मैंने इसे पढ़ लिया है और क्षेत्र में रहने के नाते मैं बहुत सारी बातें जानती भी हूँ। उस समय के घटनाकम की जानकारी भी सबको है। एक बात का आश्वासन मैं सदन में देना चाहती हूँ, जहाँ तक काँग्रेस पार्टी का सवाल है, उसका इतिहास बदले की भावना से काम करने का कभी नहीं रहा है। मैंने आपका पूरा नोटिस पढ़ा है। बदले की भावना से किसी के विरूद्ध न कोई कार्यवाही की जाएगी, न उसको दण्डित किया जाएगा, यह भरोसा मैं दिलाती हूँ। मैं यह भी भरोसा दिलाती हूँ कि उच्च अधिकारी जो भी गृह मंत्रालय या अन्य में है, क्योंकि राजेश शुक्ला जी के बारे में भी बात आयी और ठुकराल जी के बारे में भी बात आयी। उनके विरूद्ध इस प्रकार से कोई कार्यवाही नहीं होगी। क्योंकि सदन में सदस्य जो कुछ कहता है, चाहे इस पक्ष का हो या उस पक्ष का हो। ऐसी एक घटना पूर्व में बी0एस0पी0 के एक सदस्य के सम्बन्ध में

भी हुई थी। तब मैंने सदन से ही आदेशित किया था। तो सदन में सदस्य में जो कुछ कहता है, उसको सत्य मानते हुए संज्ञान लिया जाता है। सदन में सदस्य जब अपने किसी कष्ट के बारे में कहता है, चाहे वह किसी भी पक्ष का हो, तो उसे सत्य ग्राह्य करते हुए ही हम लोग सदन में जवाब देते आए हैं। वर्ष 2002 से 2007 के बीच में जब बसपा के एक विधायक ने बहुत गंभीर आरोप लगाए थे, तो उस समय भी कार्यवाही की गयी थी। माननीय सदस्य शुक्ला जी या ठुकराल जी जो कुछ यहाँ व्यक्त कर रहे हैं, या जो कुछ उन्होंने लिख कर दिया, उसे हम यह मानते हुए कि सम्मानित सदस्यों के सम्मान की रक्षा हो, गृह मंत्रालय को और प्रशासन में जो लोग भी इसको देख रहे हैं,उन्हें भी हमारी ओर से यह निर्देश है कि किसी प्रकार की उनके प्रति बदले की भावना की कार्यवाही न दिखाई दे और सरकार आपको आश्वस्त करती है कि हमारी पार्टी बदले की भावना से कोई कार्यवाही नहीं करेगी। दूसरी उनकी माँग सुरक्षा की है, दोनों की ही सुरक्षा की माँग है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगी कि जिस प्रकार का खतरा वे व्यक्त कर रहे हैं, उसके आधार पर उनको उसी श्रेणी की सुरक्षा मिले। इस पर मैं अपनी संस्तुति दूँगी।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आप तो गवर्नमेंट है। आप संस्तुति क्यों करेंगी, आप तो मुख्यमंत्री के रूप में स्वयं यहाँ पर बैठी हैं। अगर आप यह कहेंगी कि हम बात करेंगे तो यह तो चिन्ता का विषय है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मुझे पता है, ठुकराल साहब ने कहा है कि उनको जो सुरक्षा मिली है, वह पर्याप्त नहीं है। जिस तरह उनका घेराव होता है, ऐसा उन्होंने मुझसे व्यक्तिगत तौर पर भी कहा है, वह सुरक्षा इन्हे अपर्याप्त है। (व्यवधान) आपने उन्होंने वाई श्रेणी की सुरक्षा की बात कही है, मैं अपनी ओर से इस सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूँगी। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मुकदमे वापिस ले रहे हैं या नहीं ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मुकदमा वापिस लेने की एक प्रकिया होती है। फिर मुझे परीक्षण करवाने पड़ जाएंगे, इसलिए उसमें मत पड़िए। मैंने एक बार भरोसा दिला दिया कि हमारी पार्टी बदले की भावना से न राजेश शुक्ला जी के साथ और न ठुकराल जी के साथ कोई कार्यवाही होने देगी। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, कमिटमेंट मुकदमों का तो नहीं हुआ। आप मुकदमे वापिस लेने की घोषणा कर दें, कार्यवाही होती रहेगी। (व्यवधान)

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, मुझे जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि चार्जशीट कोर्ट में भेज दी गयी है। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जेल नहीं जाना पड़ेगा (व्यवधान) सदन में घोषणा न्याय देने की की जाती है। इन दोनों के साथ न्याय होगा, मैं यह भरोसा दिलाती हूँ। इनके साथ न्याय होगा, इन्हें सुरक्षा मिलेगी और कोई बदले की भावना से कार्यवाही नहीं होगी।

(व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, हम तो यह चाहते हैं कि माननीय संसदीय कार्य मत्री जी सदन में मुकदमे वापस करने की घोषणा कर दें, प्रक्रिया होती रहेगी। चाहे वह मुकदमा प्रेम चन्द अग्रवाल का हो, चाहे राज कुमार ठुकराल का हो या राजेश शुक्ला का हो।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, हमें पहले जेल जाना पड़ेगा और जमानत करवानी पड़ेगी।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री राज कुमार ठुकराल–

माननीय अध्यक्ष जी, दो अक्टूबर को दंगा होता है, उत्तराखण्ड के सबसे ईमानदार डी0आई0जी0 को सरकार एस0एस0पी0 बनाकर वहाँ भेजती है। जितने लोग दोषी थे, 39 लोगों को एटेम्प्ट करके पुलिस ने एफ0आई0आर0 लिखवाई, इन 39 लोगों को जेल भेजा गया, जो तीन महीने बाद बेल आऊट हो गये। आज 7 महीने के बाद मेरे खिलाफ मुकदमा कायम हुआ है, उसी मामले में दोबारा एफ0आई0आर0 का क्या औचित्य है? पुलिस ने उसका परीक्षण नहीं किया और सीधे सी0बी0सी0आई0डी0 को भेज दिया गया।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इस पर सरकार का पक्ष आ जाय कि वह इसे वापस ले लेगी, प्रक्रिया तो बाद में होती रहेगी।

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, बिना किसी कारण के विधायक को जेल जाना पड़ेगा, तो यह न्याय नहीं होगा।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, सरकार मुकदमे वापस लेने की घोषणा कर दे, सरकार ने तो बड़े–बड़े मुकदमे वापस लिये हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है। यह तो सरकार का अधिकार है और यह मुकदमा भी फर्जी है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, देखिये आप लोग परेशान मत होइये, क्योंकि तीन विधायक अपनी बात को कह रहे हैं तो परीक्षण कर इसको वापस कराने की कार्यवाही करा दी जायेगी।

श्री अध्यक्षः–

माननीय सदस्यों तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

(माननीय अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री बंशीधर भगत का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री राज कुमार ठुकराल–

मान्यवर, मेरा आग्रह है कि सरकार इस बात को समझे कि ....।

श्री अध्यक्ष–

ठुकराल जी, अब आपकी कोई बात नहीं सुनी जायेगी, आपके मामने में निर्णय हो चुका है तथा दूसरा बिन्दु सदन में आ चुका है, इसलिये आप अपना स्थान ग्रहण करें।

*श्री बंशीधर भगत–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–58 में अपनी बात को रखने का असर प्रदान किया है, मैं उसके लिये आपका आभार प्रकट करता हूँ। मान्यवर, हल्द्वानी शहर में काफी लम्बे समय से एक नहर को पाटकर मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। काल–टैक्स, काठगोदाम से लेकर रामपुर रोड आई0टी0आई0 तक वह नहर पाटी जानी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। जिसको हम एक बाईपास के रूप में शहर के मध्य से निकाल रहे हैं और यह सड़क जनता के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, ऐसा सभी का मानना है। पिछले काफी समय से उसमें काम भी चलता रहा और गाँव के लोगों की खेती के लिये सिंचाई का पानी भी जाता रहा। लेकिन लगभग दो महीने पहले से गाँव में पानी जाना बिल्कुल बन्द हो गया है, क्योंकि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी वहीं से हैं और मंत्री जी ने कड़ाई से निर्देया दिये हैं कि दो महीने में इस नहर का कार्य पूर्ण हो। बहुत अच्छी बात लगी, हमको लगा कि शायद अब कुछ गति आयेगी और कार्य तेजी से होगा, लेकिन गति तो बिल्कुल आई नहीं और अधिकारियों ने नहर में पानी देना बन्द कर दिया। पहले जो चौथे–पांचवे दिन खेती की सिंचाई के लिये पानी जा रहा था, वह बन्द हो गया और लोगों की फसल बिल्कुल चौपट हो गई है। अब 20–25 दिन में नहरों में पानी जाता है और वह भी नहीं के बराबर। कार्य उसी गति में है, लेकिन नहर में पानी जाना बन्द हो गया है। जिससे सूखे की स्थिति हो गई है और चारों तरफ हाहाकार है, साथ ही बिजली की कटौती हो रही है, ट्रांसफार्मर और ट्यूबवैल की मोटर फुंकने के कारण पानी का भीषण संकट हल्द्वानी में पैदा हो गया है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी के संज्ञान में यह बात हैं, लेकिन उनको पीड़ा इस बात की नहीं हो रही है क्योंकि पानी जो जाता है, वह उनकी विधान सभा क्षेत्र से बाहर जाता है। उनकी विधान सभा में वह नहीं आता है। इसलिए उनको दिखायी नहीं देता है, लेकिन मेरा यह कहना है मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर मामला है। नहर के कार्य में प्रगति हो, मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन 20–20 दिन तक पानी न जाय, काश्तकार सूखे की चपेट के कारण मर जाय । यह ठीक बात नहीं है। यह अतिमहत्वपूर्ण और लोक महत्व का प्रश्न है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ मान्यवर, इस पर सारी कार्यवाही को निलम्बित कर चर्चा कराने की माँग करता हूँ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह सही है कि हल्द्वानी में नहर कवरिंग का कार्य माननीय बंशीधर भगत जी ने अपने कार्यकाल में प्रारम्भ किया था। काफी कठिनाई उसमें आयी। बीच में बरसात हुई, लम्बा समय हो गया है और मैं स्वयं 3–4 बार निरीक्षण कर चुकी हूँ। अधिकारियों की मैंने बैठक अपने यहाँ बुलायी। उन्हें निर्देश दिये कि तीन महीने में पूरा हो जाय। उन्होंने कुछ आर्थिक संकट बताये। उसके लिए भी पैसा दिलवाने के संबंध में उन्हें आश्वस्त किया और कुछ पैसा उनको मिला भी है। इसमें लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग, प्रमुख रूप से अन्य विभाग भी जैसा पेयजल के विभाग से भी संबंधित और टेलीफोन विभाग से भी संबंधित, जिनके सामान नीचे पड़े हुए थे, नहरों में जिसे लगाने में काफी समय लगा है। इस समय उसकी प्रगति हो रही है। यह सूचना मुझे अभी माननीय मंत्री जी के माध्यम से ही प्राप्त हुई कि उसमें कार्य तेजी से करने के कारण उन्होंने सम्भवतया नहर का पानी बंद कर दिया। ऐसा लग रहा है आपकी बात से। मैंने जो जाना

कि पानी ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं जा रहा है। मैं आज ही इस संबंध में टेलीफोन कर जानकारी करके निर्देशित करूँगी और यहाँ से भी निर्देशित कर रही हूँ। पी0डब्ल्यू0डी0 और सिंचाई विभाग के लोग यहाँ पर होंगे और वो तत्काल इसमें देखें कि जो सिंचाई के लिए पानी जाता है इस घोर गर्मी में, वो अवश्य जाय और इस नहर कवरिंग के कार्य को भी शीघ्र पूरा किया जाय क्योंकि दस हजार लोग इससे पीड़ित है, जिनके बाल–बच्चे स्कूलों में जाते हैं। वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और परेशान हैं। पानी नहीं जा रहा है पेयजल के लिए या सिंचाई के लिए, तो उसकी तत्काल व्यवस्था की जाय।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, निश्चित रूप से उसमें एक दिक्कत जो थी, उसके लिए आपने आश्वासन दिया है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक उसमें निर्माण कार्य के कारण पूरा मार्ग बाधित हो गया है, उसके लिए भी आप निर्देशित कर दें।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, उस कार्य के लिए मैंने कई बार बुलाया। अब जाने के बाद बैठक भी ले लेंगे उस संबंध में, लेकिन पानी न रूके यह भी सही है और कार्य भी हो। मैंने तो तीन महीने का समय दिया था। अब तो शायद तीन महीने पूरे भी होने वाले हैं। अभी बहुत सारे कारणों से कहीं नीचे की लाईनें नहीं उठ रही हैं, कहीं संयोजन नहीं हो रहा है। बहुत सारी कठिनाईयाँ लोग लाये थे, पूरा किया जा रहा है। पर काम भी सुचारू रूप से चले। लोगों को पानी पाने का कनेक्शन भी लेना पड़ रहा है। (व्यवधान)

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, कठिनाईयाँ तो तब भी थीं जब आप हल्ला करतीं थी काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, ऐसा है भगत जी, मैं वही सब कह रही हूँ, जो मुझे कहना है। इसलिए आप शान्त बैठ जाएं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्रह्य करता हूँ।

*श्री संजय गुप्ता–

मान्यवर, मेरा लक्सर क्षेत्र है जो पूर्णतया खादर क्षेत्र है और मेरे बड़े भाई चैम्पियन साहब का खानपुर भी खादर क्षेत्र है। पूर्व की दिशा से यह गंगा नदी से घिरा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हुआ है और पश्चिम में सोलानी नदी बहती है। बरसात के दिनों में जितना ऊपर से सारा पानी जाता है, वो लक्सर और खानपुर में इक्ट्ठा हो जाता है। दोनों तरफ से बाँध टूट जाते हैं। आज भी टूटे हुए पड़े हैं। हजारों किसान, मैं जब से यह काँग्रेस की सरकार बनी है तब से माँग करता आ रहा हूँ एक कबूलपुर रायगद्दी में ठोकर का निर्माण होना था स्टड का, जिसका स्टीमेट 32 लाख रूपये का बना है। यदि वो बन जाता तो हजारों किसान जिनकी भूमि कट रही है, भूमिहीन हो गये हैं, उनकी जमीन बच जाती। 20 तारीख से, 20 जून से बरसात शुरू हो जाती है। मान्यवर, मख्याली खुर्द से मथाना तक आठ किलोमीटर बाँध जोकि एक मीटर नीचा है, उसमें पानी इतना ओवर फ्लो सोनाली नदी का होता है। लक्सर बाजार के अंदर 7–7, 8–8 फुट पानी खड़ा हो जाता है। दो वर्षों से लगातार व्यापारियों का सारा सामान नष्ट हो गया। उस क्षेत्र के सब किसानों की फसलें नष्ट हो गयीं। सरकार ने आज तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं निवेदन करता हूँ कि मख्याली खुर्द से मथाना तक आठ किलोमीटर बाँध है, वो एक मीटर ऊँचा होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि 32 लाख रूपये उस ठोकर के लिए अविलम्ब दिया जाय।

जो लोक महत्व का कार्य है। जो हजारों किसान भूमिहीन हो गये हैं, उनकी भूमि की सुरक्षा हो सके और उनकी रक्षा हो सके। गंगदासपुर, महराजपुर, पंडलपुरी जहाँ हजारों मवेशी पिछली बार पानी में बह कर मर गये और 10,12 जनहानि भी हुई थी। मान्यवर, यह सत्य है, आप इसकी जानकारी कहीं से भी ले लें, हरिद्वार प्रशासन से ले लें। आज मैं इस सदन के माध्यम से माँग करता हूँ कि कम से कम वहाँ एक स्टड बनाया जाये जो 32 लाख का स्टीमेट बना है। दूसरा उस बाँध को जो सोलानी नदी का है उसे एक मीटर ऊँचा किया जाय, मैं इसकी माँग करता हूँ और इस पर चर्चा की जाय।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, लक्सर विधान सभा क्षेत्र गंगा नदी के दायें किनारे से भोगपुर से बालावाली तक तटबन्ध का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। जिससे क्षेत्र की आबादी को गंगा नदी की बाढ़ सुरक्षा प्रदान करा दी गयी है। सोलानी नदी के बाँध की ऊँचाई बढा़ये एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु रू0 1219.48 लाख की योजना तैयार कर ली गयी है। स्वीकृति के उपरान्त कार्य कराये जा सकेंगे। संवेदनशील स्थलों पर तात्कालिक व्यवस्था के अन्तर्गत बरसात से पूर्व अनुरक्षण मद से अतिआवश्यक सुरक्षात्मक कार्य कराये जा रहे हैं।

श्री संजय गुप्ता–

मान्यवर, अभी तक वहाँ पर कुछ भी कार्य नहीं हुआ है, मैं तो वहीं का रहने वाला हूँ।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने केवल 32 लाख की बात कही है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, अनुरक्षण मद से वह पैसा स्वीकार हो रहा है। (व्यवधान) अनुरक्षण पद से दिया जा रहा है। (व्यवधान) अनुरक्षण पद से सुरक्षात्मक कार्य कराये जा रहे हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, उस काम के तो पर्टीकुलर्स हैं। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो बताया है तथा जो सूचना में दिया है उसके बारे में मैं बता रही हूँ।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आप पैसा दे रहे हैं?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष

माननीय सदस्य और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ। (व्यवधान) माननीय संजय गुप्ता जी, कृपया बैठ जाय।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य श्री संजय गुप्ता ''वेल'' में आ गये।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य द्वारा कही गयी किसी भी बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।

(माननीय सदस्य श्री संजय गुप्ता "वेल" मे बैठ गये।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक, श्री बंशीधर भगत, श्री हरबन्स कपूर तथा श्री तीरथ सिंह को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के अन्य सभी माननीय सदस्य "वेल" में आ गये और अपनी बात कहने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

विधान सभा समितियों के गठन के हेतु मा0 अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमति इन्दिरा हृदयेश)

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि यह सदन विधान सभा की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति तथा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं विमुक्त जाति समिति में कार्य करने हेतु निर्धारित संख्या में माननीय सदस्यों को नामित करने हेतु, माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को प्राधिकृत करता है और इस प्रकार नामित सदस्य विधान सभा द्वारा विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन विधान सभा की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति तथा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं विमुक्त जाति समिति में कार्य करने हेतु निर्धारित संख्या में माननीय सदस्यों को नामित करने हेतु, माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को प्राधिकृत करता है और इस प्रकार नामित सदस्य विधान सभा द्वारा विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा

श्री अध्यक्ष–

वित्तीय वर्ष 2012–13 की आय–व्ययक की सामान्य चर्चा में कोई माननीय सदस्य अपनी बात रखना चाहता है? (किसी भी माननीय सदस्य ने सदन में अत्यधिक शोर होने के कारण अपनी बात को नहीं रखा।) चर्चा जारी।

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री राजकुमार, श्री ललित फर्स्वाण, श्री मदन कौशिक, श्री अजय टम्टा, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना,श्री प्रेम चन्द अग्रवाल, श्री पुष्कर सिंह धामी, श्री चन्दन राम दास, श्री हरबन्स कपूर, श्री प्रेम सिंह तथा श्री दान सिंह भण्डारी की कुल 12 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से माननीय सदस्य श्री ललित फर्स्वाण की सूचना जो कि विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत कुमाऊँ मण्डल विकास निगम नैनीताल द्वारा पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिनसर–बैजनाथ–पिण्डारी गलेशियर सर्किट का कार्य लगभग 7.54 करोड़ रूपये की स्वीकृत होने के बाद भी पूरा न होने के सम्वन्ध में है, को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए तथा माननीय सदस्य श्री चन्दन राम दास की सूचना जो कि विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर के विकास खण्ड गरूड़ में गरूड़ गंगा से गरूड़ वृहद पेयजल लिफ्ट योजना बनाने की कार्यवाही दो वर्षो से लम्बित रहने के सम्बन्ध में है, को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

अब मैं सदन की कार्यवाही को कल पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

(सदन की कार्यवाही 3 बजकर 26 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

देहरादून,
दिनांकः 05 जून,2012

डी0 पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तराखण्ड।

नत्थी "क"

(देखिए तारा0प्रश्न सं0–08 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0 48 पर)

राज्य सरकार द्वारा एड्स पीड़ितों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए भारत सरकार की सहायता से निम्न योजनाऐं संचालित की जा रही हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है:–

1. राज्य एड्स नियंत्रण समिति का गठन–

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको), भारत सरकार द्वारा ही प्रदेश में एच.आई.वी. /एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु नीतियां तैयार की जाती हैं, जिसके आधार पर उत्तराखण्ड राज्य में एड्स नियंत्रण समिति का गठन किया है, जो कि नाको के दिशा–निर्देशानुसार कार्य करती है।

2. एन.जी.ओ. के माध्यम से हाई रिस्क ग्रुप्स के मध्य टारगेटेड इन्टरवेनशन कार्यक्रम (लक्षित हस्तक्षेपों) का संचालन–

राज्य में 32 एन.जी.ओ. के माध्यम से हाई रिस्क ग्रुप्स के मध्य टारगेटेड इन्टरवेनशन कार्यक्रम का संचालन से किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत उच्च जोखिम समूहों, जैसे व्यवसायिक यौन कार्यकर्ताओं (सेक्स वर्करों) और उनके ग्राहकों, इंजेक्शन के जरिये नशीली दवाएं लेने वाले, पुरूष के साथ यौन सम्पर्क करने वाले पुरूषों, ट्रक ड्राइवरों और प्रवासी श्रमिकों में एच.आई.वी. का संक्रमण कम करने के लिए लक्ष्यबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किये जाते हैं। उक्त कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य हाई रिस्क ग्रुप्स समूहों के व्यवहार में परिवर्तन लाने में सहायता करना, कण्डोम के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, सहयोगी द्वारा शिक्षा, यौन सम्पर्कजन्य संक्रमणों की रोकथाम और उपचार तथा ऐसी गतिविधियों का आयोजन करना शामिल है, जिसमें उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए उचित वातावरण का निर्माण किया जा सके।

3. कण्डोम प्रमोशन/डिस्ट्रीब्यूशन–

उत्तराखण्ड राज्य में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नाको–भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत राज्य में कण्डोम का निःशुल्क एवं सोशल मार्केटिंग के माध्यम से वितरण किया जा रहा है।

4. आई0ई0सी0 व जागरूकता कार्यक्रम–

राज्य में एड्स नियंत्रण समिति द्वारा एच.आई.वी./ एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किये जा रहे हैं। उच्च जोखिम समूह और सामान्य आबादी में एच.आई.वी. वायरस का प्रसार रोकने में सूचना, शिक्षा और संचार (आई.ई.सी)

की महत्वपूर्ण भूमिका के दृष्टिगत आई0ई0सी0 द्वारा व्यवहार परिवर्तन के लिए संचार, भागीदारी, एकजुटता, प्रशिक्षण और सहायता, सफलता की कहानियों को दोहराना एवं बुनियादी संचार आवश्यकताओं के सम्बन्ध में रचनात्क अनुसंधान करना आदि कार्य किये जा रहे हैं। उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में स्थित डिग्री कॉलेजों में कुल 240 रेड रिबन क्लब का गठन किया जा चुका है, जिसके अन्तर्गत युवाओं के मध्य एड्स जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है।

5. एकीकृत परामर्श एवं परीक्षण केन्द्र–

एच0आई0वी0 संक्रमण की जानकारी केवल व्यक्ति के रक्त की जांच करवाने से ही सकती है, जिसके लिए राज्य में 168 एकीकृत परामर्श एंव परीक्षण केन्द्र (आई0सी0टी0सी0) स्थापित किये गये हैं। उक्त केन्द्रों पर एच.आई.वी. की परामर्श एवं जांच सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाती है। सभी केन्द्रों में एक परामर्शदाता एवं लैब टेक्नीशियन की व्यवस्था की गयी है। परामर्श (काउन्सलिंग) एक सहायक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से किसी भी संक्रमित व्यक्ति को जीवन निर्वाह के लिए सकारात्मक प्रवृत्ति अपनाने का परामर्श प्रदान किया जाता है।

6. रक्त सुरक्षा कार्यक्रम (ब्लड बैंक)–

व्यक्तियों को सुरक्षित एवं एच.आई.वी मुक्त रक्त की उपलब्धता राज्य के सुदूर स्थानों तक सुनिशिचत कराना एवं सुरक्षा राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अवयव है। एच0आई0वी0 संक्रमण का एक प्रमुख कारण असुरक्षित रक्त एंव रक्त उत्पाद का ट्रान्सफ्यूज़न है। अतः राज्य में सुरक्षित एंव रोगमुक्त रक्त की उपलब्ध ाता हेतु स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने हेतु राज्य के समस्त जिलों में समय–समय पर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम के अन्तर्गत एच.आई.वी. मुक्त सुरक्षित रक्त की उपलब्धता हेतु प्रदेश में कुल 24 (राज्य सरकारी 16, केन्द्र सरकारी–4, अन्य 04) लाइसेन्स युक्त रक्त कोष (ब्लड बैंक) स्थापित किये गये हैं, जिससे जन–सामान्य को सुरक्षित रक्त की आपूर्ति की जाती है। कार्यक्रम के अन्तर्गत ब्लड स्टोरेज सेन्टर की स्थापना सी.एच.सी. डोईवाला, विकासनगर, संयुक्त चिकि0 ऋषिकेश (देहरादून), भवाली (नैनीताल), कर्णप्रयाग (चमोली), जोशीमठ (चमोली), अगस्त्यमुनि (रूद्रप्रयाग), किच्छा, जसपुर (उधमसिंह नगर) में की गई है। नाको भारत सरकार द्वारा प्रदेश में 4 रक्त संचरण वाहन उपलब्ध कराये गये है। जिसके द्वारा रक्त यूनिटों को रक्तदान शिवरों से ब्लड बैंक तक तथा ब्लड बैंक से ब्लड स्टोरेज सेन्टर तक सुरक्षित पहुँचाना है। ये वाहन प्रदेश के जनपद श्रीनगर, हल्द्वानी, हरिद्वार (संयुक्त चिकित्सालय–रूड़की) देहरादून (दून चिकित्सालय) में तैनात किये गये है।

7. केयर सपोर्ट एण्ड ट्रीटमेन्ट–

उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत एड्स पीड़ित मरीजों की देखभाल, सहायता एवं चिकित्सा उपचार हेतु प्रदेश में दो ए.आर.टी. केन्द्रों की स्थापना की गयी है, जो कि दून चिकित्सालय, देहरादून तथा डॉ. सुशील तिवारी राजकीय चिकित्सालय, हल्द्वानी (नैनीताल) में स्थापित हैं। उक्त संस्थानों में एड्स पीड़ितों को सी.डी0 –4 जाँच एवं एंटी रेट्रों वायरल दवाएं निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं।

8. लिंक ए0आर0टी0 केन्द्र–

उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत एड्स व्यक्तियों के हित में यात्रा दूरी को कम करने व नियमित ए.आर.टीत्र प्रदान करने हेतु ड्रग वितरण केन्द्र की स्थापना की गयी है, जिनको लिंक ए.आर.टी. केन्द्र के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में 13 लिंक ए.आर.टी. केन्द्र (जिला चिकित्सालय–पिथौरागढ़, हरिद्वार , बौराड़ी, बागेश्वर, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयोग, गोपेश्वर (चमोली), अल्मोड़ा, बेस चिकित्सालय श्रीनगर, संयुक्त चिकित्सालय काशीपुर (ऊधमसिंह नगर), कोटद्वार (पौड़ी), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लोहाघाट एवं एच.आई. एच.टी. जौलीग्रान्ट देहरादून में स्थापित है।

9. एस0टी0डी0/एस0टी0आई0 क्लीनिकों की स्थापना–

उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत यौन संचारित रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत 20 एस.टी.डी. (सैक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज)/एस.टी.आई.(सैक्युअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन) क्लीनिकों की स्थापना की गयी है।

10. प्रदेश के सभी राजकीय चिकित्सालयों में एच.आई.वी./एड्स संक्रमित व्यक्ति को सभी प्रकार की जांच सुविधा, दवा एवं उपचार निःशुल्क प्रदान की जाती है।

नत्थी ''क''

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–16 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या–70 पर)

अतारांकित प्रश्न संख्या–16 का अनुपूरक सामग्री

क्र0 सं0	विधान सभा क्षेत्र का नाम	वित्तीय 2009–10 छात्र संख्या			वित्तीय 2010–11 छात्र संख्या			वित्तीय 2011–12 छात्र संख्या		
		अनुसूचित जाति	पिछड़ी जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	पिछड़ी जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	पिछड़ी जाति	अनुसूचित जनजाति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अल्मोड़ा	9251	825	245	9315	848	145	9501	872	151
2.	जागेश्वर	7304	423	—	6212	352	—	7262	348	—
3.	सोमेश्वर	3224	423	—	2747	388	—	3514	358	—
4.	रानीखेत	8025	552	188	6752	588	45	7158	616	48
5.	द्वाराहाट	7114	545	152	6686	553	52	6998	588	62
6.	भिकियासैंण	4790	236	—	3850	215	—	3915	228	—
7.	सल्ट	5116	319	148	6215	378	23	5225	357	39
	योग	44824	3248	733	41777	3322	265	43573	3367	300

आतांकित प्रश्न संख्या–16 की अनुपूरक समाग्री

जनप में छात्रवृत्ति योजना में व्यय की गई धनराशि का विवरण मदवार/वर्षवार

क्र0 सं0	विधान सभा क्षेत्र का नाम	वित्तीय 2009–10 छात्र संख्या			वित्तीय 2010–11 छात्र संख्या			वित्तीय 2011–12 छात्र संख्या		
		अनुसूचित जाति	पिछड़ी जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	पिछड़ी जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	पिछड़ी जाति	अनुसूचित जनजाति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	मदवार	469.98	39.60	15.69	511.16	43.95	9.83	659.21	44.75	38.75
2.	कुल वर्षवार		525.27			564.94			742.71	